अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूरू

(स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान)

सूचना पुस्तिका

प्रतिलिप्यधिकार सुरक्षित

अंतिम तिथी :31.03.2021

**आईश का परिचय**

अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान की स्थापना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णरूप से वित्तपोषित एक स्वायत्त संस्थान के रूप मेंवर्ष 1966 मेंकी गई थी।संस्थान के प्रमुख उद्देश्योंसंप्रेषण विकारों जैसे श्रवण दोष, मानसिक मंदता, आवाज, प्रवाह और ध्वनि एवं भाषाविकारों से संबंधित मुद्दों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान संचालित करना और जनता को शिक्षित करना है।

संस्थान वर्ष 1965 में एक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ और अब एक सर्टिफिकेट कोर्स, 3 डिप्लोमा कार्यक्रम (डिप्लोमा इन हियरिंग एड एंड इयरमोल्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग हियरिंग इम्प्रेयड चिल्ड्रन एंड डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच(दूरी मोड के माध्यम से); 2 स्नातक कार्यक्रम (वाक् और श्रवण में बी.एससी. और बी.एस.एड. - श्रवण-हानि); नैदानिक भाषाविज्ञान और फोरेंसिक वाक् विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम; 3 पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स (ऑडियोलॉजी मेंएम. एससी., स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी में एम. एससी और एम. एस. एड.- हियरिंग-इंपेयरमेंट)सहित कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान श्रवणविज्ञान और वाक् भाषा दोष विज्ञान में पीएचडी कार्यक्रम और पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप भी प्रदान करता है।

मैसूर के मानसगंगोत्री में मैसूर विश्वविद्यालय से सटे 32 एकड़ के हरे भरे परिसर में स्थित, यह अपने ग्यारह विभागों और एक सुसज्जित पुस्तकालय और सूचना केंद्र के साथ एशियाई उप-महाद्वीप में एक अनोखा संस्थान है। इन विभागों में छात्रों को अंतर-अनुशासनात्मक प्रशिक्षण देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं।

आईशसंप्रेषणविकारों की एक पूरी श्रृंखला वाले सभी उम्र के सेवार्थी को सेवा प्रदान करता है।संस्थान पूरे भारत और विदेशों से छात्रों को आकर्षित करता है। यह देश भर में श्रवणविज्ञान, वाक् भाषा दोष विज्ञान और विशेष शिक्षा के व्यवसायों के कारण को आगे बढ़ाने में पिछले50वर्षों में प्रयास किया है। संप्रेषण विकारों वाले व्यक्तियों तक पहुंचने में उत्कृष्टता हासिल करने की उत्साह की कोई सीमा नहीं होती हैं। संस्थान को डब्ल्यूएचओद्वारा बहरेपन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, यूजीसीद्वारा उच्च अनुसंधान के लिए एक केंद्र के रूप में और डीएसटीद्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। संस्थान को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बहरेपन को नियंत्रण और रोकथाम के लिए,राष्ट्रीयकार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिएसाथ ही साथ जन शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी एक नोडल केंद्र के रूप मेंअब मान्यता दी गई है। अब तक, 1148 छात्रों ने स्नातक की डिग्री और 915 स्नातकोत्तर डिग्रीआईश से प्राप्त की है। इसके अलावा, वाक् और श्रवण,श्रवणविज्ञान और वाक् भाषा दोष विज्ञानमें 43 पीएचडी को संस्थान के संकाय के सक्षम मार्गदर्शन में सम्मानित किया गया है। आगे, आईशमेंआठ संकाय सदस्यों ने नैदानिक मनोविज्ञान, भाषाविज्ञान एंव इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे संबद्ध विषयों मेंपीएचडी प्राप्त किए हैंऔर कुछउसी को कर रहे हैं।

आईशभारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केअध्यक्ष के रूप मेंमाननीय केंद्रीय मंत्रीके साथ कार्यकारी परिषद के निर्देशन में और माननीयमंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण,कर्नाटकसरकार के उपाध्यक्ष के रूप मेंएक स्वायत्त संगठन के रूप मेंकार्य करता है।

आईशको अपने पूर्व छात्रों पर गर्व है, जो न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक, नैदानिक और प्रशासनिक सेटअप में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। उन्होंने वाक्, भाषा और श्रवण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समाजों के सक्रिय सदस्य बनकर हमें गौरवान्वित किया है। आईश गुणवत्ता पेशेवरों को बाहर लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो उनकेसंप्रेषण विकारों के दुर्बल प्रभावों को दूर करने के लिए व्यक्तियों की मदद करने की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम नए मानकों को स्थापित करने की उम्मीद करते हैं ताकि भविष्य के प्रशिक्षित पेशेवर हमेशा सफल होने के लिए अपने पैर पर रहें। हमें विश्वास हैं कि हमारे छात्र हमें और देश को गौरवान्वित करेंगे।

**आईश का दृष्टि और ध्येय**

दृष्टि –आवश्यकता आधारित अनुसंधान, क्लिनिकी सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास, संप्रेषण विकृत्तियों के क्षेत्र में सजगता उत्पन्न करना व सार्वजनिक शिक्षा – इनके द्वारा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में विश्वस्तर के संस्थान के रूप में अग्रसर होना।

ध्येय – विश्व स्तर पर स्पर्धात्मकता और नैतिकता से समन्वित मानव संसाधन, उच्च स्तरीय शिक्षा, मौलिक अनुसंधान, क्लिनिकी सेवाएँ तथा सार्वजनिक सजगता – इनको बढ़ावा देना, बनाए रखना, और उपलब्ध कराना।

**संगठन चार्ट**

 कार्यकारी परिषद

वित्त समिति शैक्षणिक समिति

 निदेशक

केन्द्रीय सुविधाएँ– कम्प्यूटर केंद्र, पुस्तकालय व सूचना केंद्र, पब्लिसिटी व सूचना

शैक्षणिक

सामान्य प्रशासन – लेखा अनुभाग, कार्मिकअनुभाग , स्थापनाअनुभाग , खरीदअनुभाग , भंडारअनुभाग , सुरक्षा, राजभाषाअनुभाग , रिसेप्सन व मुद्दे

इनजीनियरिंग

विभाग – श्रवणविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक सेवा, सीआरईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएनटी, सामग्री विकास, पीओसीडी,विशेष शिक्षा, वाक् भाषा दोष विज्ञान, वाक् भाषा विज्ञान **अध्यक्ष**  माननीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110108

**उपाध्यक्ष**

माननीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, कर्नाटक सरकार, विधान सौदा, बैंगलोर – 560 001

**सदस्यों**

सचिव (स्वास्थ्य व परिवार कल्याण), स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 108

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली -110 108

अतिरिक्त सचिव (एच), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली –110 108

अतिरिक्त सचिव (एफए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,भारत सरकार, निर्माण भवन, द्वितीय तल, "ए" विंग, नई दिल्ली - 110108

संयुक्त सचिव (एच), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार, निर्माण भवन, द्वितीय तल, "ए" विंग, नई दिल्ली - 110108

संयुक्त सचिव (डीडी),सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, 6ठीं मंजिल, नई दिल्ली - 110 015

कुलपति, मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर - 570 005

प्रमुख सचिव (एच), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,कर्नाटक सरकार, मल्टीस्ट्रोड बिल्डिंग, बैंगलोर - 560 001

चिकित्सा शिक्षा निदेशक,कर्नाटकसरकार, आनंद राव सर्कल, बैंगलोर - 560 009

माननीय केंद्रीय मंत्री के नामांकितों

निदेशक के नामांकित

**सदस्य सचिव**निदेशकअखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान,मैसूर –570 006

**वित्त समिति**

**अध्यक्ष**

अतिरिक्त सचिव (एच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,भारत सरकार, नई दिल्ली - 110 108

**सदस्यों**

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (या उनके नामांकित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110 108

अतिरिक्त सचिव (एफए),स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली – 110 108

संयुक्त सचिव (एच),स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली –110 108

सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), कर्नाटक सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मल्टीस्ट्रोड बिल्डिंग, बैंगलोर 560 001

**सदस्य सचिव** निदेशक अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर - 570 006

**शैक्षणिक समिति**

**अध्यक्ष** श्री. जे. शशिधर प्रसाद, भूतपूर्व कुलपति और भौतिकी प्रोफ़ेसर, मैसूर विश्वविद्यालय, 49/2, 5वीं मुख्य तृतीय खंड, जयलक्ष्मी पुरम, मैसूर - 570 012

**सदस्यों**

उप महानिदेशक (एम), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, कर्नाटक सरकार, बैंगलोर560 009

उप-कुलाधिपतिके नामांकित,मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर 570 005

डॉ. ए.के. अग्रवाल, डीन और निदेशक, एमएएमसी,अतिरिक्त महानिदेशक,भारतसरकार,ओ / ओ डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110 108

आईश के विभागों के तीन प्रमुख,मैसूर, (हर 2 साल में क्रमावर्तन पर)

प्रो. एच. ए. रंगनाथ, निदेशक, एनएएसी, जनानाभारती कैम्पस, बैंगलोर

डॉ. एच. सुदर्शन,वीजेकेके, 686,16वां मुख्य, 4वां टी ब्लॉक,जयनगर, बैंगलोर 570 041

**सदस्य सचिव** निदेशक अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर - 570 006

**शैक्षणिक**

**उद्देश्य**

• संप्रेषण विकारों के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास

• संप्रेषण विकारों के क्षेत्र में अनुसंधान

• संप्रेषण विकारों वाले व्यक्तियों के लिए नैदानिकसेवाएं

• सार्वजनिक शिक्षा

**आधारिक संरचना**

• मल्टीमीडिया सुविधा के साथ 22 कक्षाएँ

• 180 लोगों की बैठने की क्षमतावाला सेमिनार हॉल और 400 लोगों की बैठने की क्षमतावालाएक सभागार

• डीएचएलएस कार्यक्रमों के लिए 07 केंद्रों से जुड़े दो-तरफ़ा ऑडियो-वीडियो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम

• इनडोर और आउटडोर स्टेडियम, जिम, इनडोर खेलों वाले जिमखाना

• पुरूषऔरस्त्रीछात्रावास

• अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय और सूचना केंद्र

• नैदानिक अभ्यास के लिए सीसीटीवी निगरानी के साथ बहुत अच्छी नैदानिक सुविधा

• अच्छी योग्य संकाय और अन्य तकनीकी कर्मचारी

**पाठ्यक्रम / कार्यक्रम प्रस्तुत**

1. बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (बी.एएसएलपी)

2. बैचलर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट) [बी.एड. स्पे. एजु.(एचआई)]

3. डिप्लोमा इन हियरिंग एड एंड इयरमोल्ड टेक्नोलॉजी (डीएचए और ईटी)

4.डिप्लोमा इनअर्लीचाल्इडहुड स्पेशल एजुकेशन(हियरिंग इम्पेयरमेंट (डीइसीएसई(एचआई))

5. डिप्लोमा इन हियरिंग, लैंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस) - थ्रू क्वासी डिस्टेंस मोड

6. एम.एससी (ऑडियोलॉजी)

7. एम.एससी (स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी)

8. मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयरमेंट) [एम.एड.स्पे. एजु. (एचआई)]

9.पीजीडिप्लोमाइन क्लिनिकल लिंगविस्टिक्सएसएलपी (पीजीडीसीएलपी)

10. पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक स्पीच साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (पीजीडीएफएसएसटी)

11. पीजी डिप्लोमा इन न्यूरो ऑडियोलॉजी (पीजीडीएनए)

12. पीजी डिप्लोमा इन ऑगमेंटेटिव एंड आल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (पीजीडीएएसी)

13. पीएचडी (ऑडियोलॉजी)

14. पीएचडी (स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी)

15. पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप

**वज़ीफा / छात्रवृत्ति**

**बी.एएसएलपी:**

एक वर्ष में 10 महीनों के लिए 800 / - प्रति माह: पहले 3 साल। इंटर्नशिप वर्ष (चतुर्थ वर्ष): देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति के अनुसार जो निम्नानुसार है:

• उत्तर-पूर्वी राज्यों - 6,000 / - रूपया प्रति माह।

• राज्यों जहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्यमिशन कार्यान्वयन में है -5500 / - रु. प्रति माह।

• अन्य राज्य –5,000 / - रु. प्रति माह।

इंटर्नशिप वर्ष (4वें वर्ष) में 10 महीनों के लिए 1500 / - रु. प्रति माह।

सी (श्रवणविज्ञान) और एम. एससी (वाक् भाषा दोष विज्ञान): 1300 / - रु. प्रति माह 10 महीनों के लिए।

विशेष शिक्षा स्नातक (श्रवण दोष): 10 महीनों के लिए 400 / - रु. प्रति माह।

वाक् भाषा दोष विज्ञान के लिए नैदानिक भाषाविज्ञान में पीजी. डिप्लोमा: 10 महीनों के लिए 500 / - रु.प्रति माह

डिप्लोमा इनहियरिंग एड और इयरमोल्ड टेक्नोलॉजी: 10 महीनों के लिए 250 / - रु. प्रति माह।

डिप्लोमा इन हियरिंग एड एंड इयरमोल्ड टेक्नोलॉजी (हियरिंग इम्पेयरमेंट): 10 महीनों के लिए 250 / - रु.प्रति माह।

वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड के माध्यम से श्रवण, भाषा और वाक् में डिप्लोमा: 10 महीनों के लिए 250 / - रु.प्रति माह।

पीएचडी (ऑडियोलॉजी) और पीएचडी (स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी):

अनुसंधानछात्रवृत्तिप्रत्येक वर्ष 4 छात्रों को प्रदान की जाएगी।

• 20000 / -रु + 20% एचआरए प्रति

महीना: पहला साल।

•22000 / - रु+ 20% एचआरए प्रति

महीना: दूसरा साल।

• 25000 / - रु+ 20% एचआरए प्रति

महीना: तीसरा और अंतिम वर्ष।

पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप के लिए वज़ीफा इस प्रकार हैं:

छात्रवृत्ति की पूरी अवधि के दौरान पीडी छात्रवृत्ति का भुगतान प्रति माह 35,000 / - रु.किया जाएगा। नियमानुसार एचआरए @ 50,000 / - प्रति वर्ष आकस्मिक अनुदान।

**संस्थान पुरस्कार**

1. डॉ. विजय वी. कुमार, अनिल वी. कुमारऔर उनके परिवारद्वारा स्थापित किया गयाश्री डी. के. वेंकटेश मूर्ति गोल्ड मेडलको बी.एससी (वाक् व श्रवण) / बी. एएसएलपीके छात्रों को प्रथमपद धारक से सम्मानित किया जाता है।

2. तृतीय बी.एससी.(वाक् व श्रवण) / बी. एएसएलपी छात्रों कोबेस्ट क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन अवार्ड

3. सुश्री इंदिरा कुमारी द्वारा स्थापित अभिलाषा पुरस्कार, एम.एससी. (वाक् भाषा दोष विज्ञान) में सर्वश्रेष्ठ छात्र चिकित्सक को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार नकद पुरस्कार के रूप में होता है।

4. श्रीमती. डॉ. विजय वी. कुमार, अनिल वी. कुमार और उनके परिवार द्वारा स्थापित जयलक्ष्मी गोल्ड मेडल, एम.एससी. (वाक् भाषा दोष विज्ञान) में प्रथमपद धारक को प्रदान की जाती है।

5. फेरेन्ड्ससयूनाइटेड आरगनाईजेशनइनडाउनमेंट फेलोशिप, एम.एससी. (वाक् भाषा दोष विज्ञान)कार्यक्रम में उच्चतम अंक हासिल करने वाले छात्र को नकद पुरस्कार दिया जाता है।

6. पहले एम.एससी.(ऑडियोलॉजी / स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी) छात्रोंको बेस्ट जर्नल क्लब प्रेजेंटेशन अवार्ड।

7. श्रीमती. टी. वी. अलामेलु गोल्ड मेडल उस छात्र को दिया जाता है जोएम.एससी. (वाक् भाषा दोष विज्ञान) के स्पीच प्रोडक्शन कोर्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है।

8. डॉ. आर. सुंदर गोल्ड मेडल उस छात्र को दिया जाता है जोएम.एससी. (वाक् भाषा दोष विज्ञान) के स्पीच लैगंवेज प्रोसेसिंग / स्पीच लैंगवेज परसेप्शन कोर्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है।

9. डॉ. विजयलक्ष्मी बासवराज गोल्ड मेडलउस सर्वश्रेष्ठ स्नातकोत्तर छात्र को दिया जाता है जो एम.एससी.(श्रवणविज्ञान) केसभी सेमेस्टर में उच्चतम अंक प्राप्त करता है।

10 श्रीमती. आर. सुमित्रम्मा और श्री आर.के. राजगोपाला गोल्ड मेडल उससर्वश्रेष्ठचिकित्सक छात्र को दिया जाता हैं जिन्होंने एम.एससी.(श्रवणविज्ञान) के सभी चार सेमेस्टर केक्लीनिकल प्रैक्टिकम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं।

**मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान दिए गए स्वर्ण पदक**:

1. डॉ. नतेशा रतना स्वर्ण पदक, बी.एससी. (वाक् व श्रवण)/ बी.एसएलपीमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाता है।

2. ऑडियोलॉजी गोल्ड मेडल में नेशनल हियरिंग केयर, बी.एससी. (वाक् व श्रवण)/ बी.एसएलपी में श्रवणविज्ञान आधारित विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दिया जाता है।

3. स्वर्गीय श्री. पी. डी.मनोहरजो इस संस्थान में वाक् भाषा दोष विभाग में संकाय थे, की स्मृति में स्थापित मनोहर गोल्ड मेडलएम.एससी. (स्पीच- लैंग्वेज पैथोलॉजी) के पहले पद धारक को सम्मानित किया जाता है।

4. स्वर्गीय सुश्री अरथी वेंकटरमनजो इस संस्थान के छात्र थे, की स्मृति में स्थापितअरथी वेंकटरमन गोल्ड मेडलको एम.एससी. (ऑडियोलॉजी) के पहले पद धारक से सम्मानित किया जाता है।

संपर्क करें

डॉ. अनिमेश बर्मन श्रवणविज्ञान प्रोफ़ेसर व शैक्षणिक समन्वयकर्ता आईश, मैसूर - 570 006दूरभाष: 91-0821-2502181 / 2502165ईमेल: aiish.academy@gmail.com

डॉ. जयशंकर राव रजिस्ट्रारआईश, मैसूर - 570 006दूरभाष: 91-0821-2502164

सुश्री. एन. परिमला सहायक रजिस्ट्रारआईश, मैसूर - 570 006दूरभाष: 91-0821-2502162ईमेल: aiish.asstregistrar@gmail.com

श्री के.पी. नरसिम्ह प्रसादआईश, मैसूर - 570 006दूरभाष: 91-0821-2502172

**विभाग**

**श्रवणविज्ञान विभाग**

**उद्देश्य:**

श्रवणविज्ञान विभाग के प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नैदानिक सेवाओं को देना, अनुसंधान संचालित करना और श्रवण दोष से संबंधित मुद्दों पर जनता को शिक्षित करना है।

**भूमिका:**

श्रवणविज्ञान के क्षेत्र में जनशक्ति बढ़ाने के लिए, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे नैदानिक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश करने के लिए, इसमें सुनवाई हानि, सुनवाई का आकलन, सुनने के उपकरणों का चयन और निर्धारण, कस्टम ईयर मोल्ड्स का प्रावधान और श्रवण दोष के साथ व्यक्तियों का पुनर्वास शामिल है। इसके अलावा, बाकी दुनिया के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए श्रवणविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है।

**क्रियाकलाप:**

विभाग प्रशिक्षण, नैदानिक सेवाएं प्रदान करने, अनुसंधान गतिविधियों, विस्तार गतिविधियों और सार्वजनिक शिक्षा गतिविधियों में शामिल होता हैं।

**अ. प्रशिक्षण**

विभाग के संकाय विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में शामिल हैं। वे हैं:

क.श्रवणविज्ञान में पोस्ट-डॉक्टरल फैलोशिप पीएचडीख. एम.एससी. (श्रवणविज्ञान) ग. मास्टर स्तर पर संबद्ध और अन्य अनुशासन के लिए सौम्यआधारभूत और खुले वैकल्पिक विषय प्रदान करनाघ.बी.एससी. (वाक् वश्रवण)ड़. तंत्रिकाश्रवणविज्ञान में स्नात्तकोत्तर डिप्लोमाच. हियरिंग एड और एर्मोल्ड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा छ. श्रवण, भाषा और वाक् विज्ञान में डिप्लोमा ज. टीचिंग यंग में डिप्लोमा (बहरा और सुनने में मुश्किल) झ.बी.एस.एड. (हियरिंग इम्पेयरमेंट) एम.एस.एड. (हियरिंग इम्पेयरमेंट)अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ञ. साप्ताहिक जर्नल क्लबों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम / सेमिनार / कार्यशालाएं मार्गदर्शन और ट. नैदानिक सम्मेलन ठ. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम

**आ. नैदानिक सेवाएँ**

कुछ दिनों से लेकर बुजुर्गों तक के व्यक्तियों के लिए विभाग नैदानिक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। गतिविधियों में श्रवण हानि की रोकथाम, श्रवण का आकलन, श्रवण उपकरणों का चयन और निर्धारण, कस्टम इयर मोल्ड्स का प्रावधान और श्रवण दोष वाले व्यक्तियों का पुनर्वास शामिल है। इन सेवाओं को मोटे तौर पर श्रवण मूल्यांकन और श्रवणविज्ञान प्रबंधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

**क. श्रवण मूल्यांकन:**

श्रवण मूल्यांकन में श्रवण का विस्तृत मूल्यांकन शामिल है। श्रवण मूल्यांकन व्यवहार परीक्षणों के साथ-साथ उद्देश्य परीक्षणों का उपयोग करके किया जाता है। श्रवणसमस्या का विशिष्ट निदान अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके परीक्षणों की बैटरी के परिणामों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, परीक्षण कर्णक्ष्वेड, हाइपरएक्यूसिस, कोक्लियर मृत क्षेत्रों, श्रवण रोग-समकालिकता और केंद्रीय श्रवण प्रसंस्करण विकार (सीएपीडी) के मूल्यांकन के लिए उपलब्ध हैं।

विभाग में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख स्वभाव - संबंधी परीक्षण प्योर टोन ऑडियोमेट्री और स्पीच ऑडियोमेट्री हैं।स्वभाव - संबंधी अवलोकन श्रवणमिति (बीओए) और दृश्य सुदृढीकरण श्रवणमिति (वीआरए) को कार्य करने की सुविधा भी किया जाता हैं। वीआरए के साथ छह महीने की उम्र तक बच्चों से ध्वनि उत्तेजनाओं के लिए स्वैच्छिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना संभव है।

वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का उपयोग करते हुए, श्रवण उत्तेजनाओं की प्रतिक्रियाएं व्यक्ति से स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बिना प्राप्त की जा सकती हैं। विभाग में उपयोग किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में, अपरिपक्व मूल्यांकन, ओटो ध्वनिक उत्सर्जन (ओएई) का मापन, श्रवण विकसित क्षमता (एईपी) का मापन और श्रवण स्थिर अवस्था प्रतिक्रियाएँ (एएसएसआर)शामिल हैं।

श्रवण मूल्यांकन के बाद, उपयुक्त परामर्श या पुनर्वास प्रक्रियाओं की सिफारिश की जाती है। परामर्श उपचार की एक चिकित्सा / सर्जिकल लाइन के लिए हो सकता है। सिफारिश किए जाने पर श्रवणविज्ञानी उपचार विभाग में किया जाएगा।

**ख. श्रवणविज्ञानी प्रबंधन:**

श्रवण यंत्र निर्धारण: श्रवण यंत्रों और सहायक श्रवण उपकरणों (एएलडी) के मोडल सहित विभिन्न प्रकार के श्रवण उपकरण परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। आमतौर पर, श्रवण यंत्रों को उन लोगों के लिए निर्धारित की जाती है, जो उपचार की एक चिकित्सा लाइन से लाभ नहीं उठाते हैं। निर्धारितश्रवण यंत्र में शरीर का स्तर और कान का स्तर (कान के पीछे, तमाशा, कान के पीछे, रिसीवर-इन-द-केनल श्रवण यंत्र, इन-द-केनल और पूरी तरह से- इन-द-केनल श्रवण यंत्र) यंत्र शामिल हैं।पारंपरिक और डिजिटल श्रवण यंत्र सेवार्थियों के परीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। सेवार्थी के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र का चयन करने के लिए श्रवण उपकरणों से लाभ का आकलन करने के लिए विशिष्ट मूल्यांकन किया जाता है।योग्यसेवार्थीके लिए, शरीरस्तरश्रवण यंत्र निशुल्क या अनुदानित दर पर सहायता राशि के तहत विकलांग व्यक्तियों को सहायता / उपकरण (एडीआईपी स्कीम) की खरीद / फिटिंग के लिए प्रदान की जाती है। एएलडीएस, श्रवण दोष वाले व्यक्तियों को उन स्थितियों में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, जहाँ एक श्रवण यंत्र पर्याप्त नहीं हो सकती है। ये उपकरणें सिग्नल की धारणा जैसे कि एक घंटी की आवाज़, टेलीफोन की घंटी, टेलीफोन पर बातचीत में सहायता और टेलीविजन सुनने के लिएको बढ़ाते हैं। कॉक्लियर इंप्लांट के लिए उम्मीदवारी का निर्धारण करने के लिए भी आकलन किया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट के स्पीच प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग और कॉक्लियर इम्प्लांट से लाभ का मूल्यांकन करने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

**ग. श्रवण यंत्र वितरण योजना:**

श्रवणविज्ञान विभाग वर्ष2006- 07से सफलतापूर्वक सुनवाई यंत्र वितरण योजना चला रहा है।इस योजना के माध्यम से, सेवार्थीरियायती दर परनिर्धारितश्रवण यंत्रखरीद सकते हैं जो सेवार्थियों को वितरित की जा रही हैं। इन श्रवण यंत्र में एडीआईपी योजना के तहत भारत सरकार द्वारा वितरित किए गए उपकरणों के अलावा अन्य उपकरण शामिल हैं।

**घ. कान साँचा:**

एक कान साँचा का उपयोग उपयोगकर्ता के कान के लिए विशिष्ट प्रकार के श्रवण यंत्रों के जोड़े के लिए किया जाता है। कस्टम हार्ड मोल्ड, सॉफ्ट मोल्ड और कस्टम इन-ईयर और केनल प्रकार के श्रवण यंत्र प्रदान कराने के लिए विभाग में सुविधाएं उपलब्ध हैं।एक केंद्रीय प्रोस्थेटिक लैब 11 वीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में विभाग में भी स्थापित की गई है।इस लैब में, कर्ण छाप (विभिन्न केंद्रों से प्राप्त किए जाते हैं जहाँ साँचा बनाने की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं) संसाधित होती हैं और कस्टम इयरमॉल्ड को इन केंद्रों में वापस भेज दिया जाता है। कस्टम इयरमॉल्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, व्यक्तियों के विभिन्न समूहों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे कान के छापों को बनाने और उन्हें प्रसंस्करण के लिए लैब में भेज सकें।

**ड़. परामर्श**

श्रवण उपकरणों की फिटिंग के साथ श्रवणविज्ञानी प्रबंधन बंद नहीं होता है। सेवार्थी को उनकी समस्या, श्रवण यंत्र की आवश्यकता, श्रवण यंत्र की देखभाल और उसके उपयोग के संबंध में प्रशिक्षित / परामर्श दिया जाता है। यंत्र से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें, और श्रवण यंत्र में समायोजित करने की जानकारी भी प्रदान की गई है। उन्हें श्रवण कौशल, भाषण पढ़ने और संचार रणनीतियों को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं। इन पहलुओं पर पुस्तिकाएँ भी सेवार्थियों को दिए जाते हैं।

**च. श्रवण प्रशिक्षण:**

जिन सेवार्थियों को श्रवण दोष के कारण संचार में कठिनाई होती है, उन्हें उपयुक्त श्रवण उपकरणों के साथ श्रवण शिक्षा / श्रवण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कुछसेवार्थियों को भाषण पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है और संचार रणनीतियों का उपयोग करना सिखाया जाता है। विशेष श्रवण आवश्यकताओं वालेसेवार्थियों का प्रबंधनजैसे कि श्रवण प्रसंस्करण विकार, श्रवण रोग-समकालिकता, कर्णक्ष्वेड, और हाइपरएक्यूसिस भी किए जाते हैं। चिकित्सा की अवधि व्यक्ति की उम्र और व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली समस्या की मात्रा पर निर्भर करती है। बाहरी सेवार्थियों के लिए, प्रदर्शन चिकित्सा दी जाती है। सभी सेवार्थियों को गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाते हैं।

**इ. बाह्यसेवाएँ**

शिविर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं, जहां विकलांगता प्रमाणपत्र और श्रवण यंत्रों को योग्यसेवार्थियों को वितरित किए जाते हैं।

**ई. सार्वजनिक शिक्षा**

श्रवण दोष की रोकथाम, पहचान और पुनर्वास के संबंध में जन जागरूकता पैदा की जाती है। प्रिंट और दृश्य-श्रव्य सामग्री जैसे कि पुस्तिकाएँ, पोस्टर, स्लाइड, वीडियो और मॉडल तैयार किए जाते हैं और इसका उपयोग सार्वजनिक शिक्षा गतिविधियों के लिए भी किया जाता है।

**अनुसंधान**

विभाग के कर्मचारी सदस्य अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनका काम विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किया जाता है और उनके शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरानपत्रोंने कई सर्वश्रेष्ठ पत्र पुरस्कारों को भी आकर्षित किया है। छात्रों को उनके श्रवण विज्ञान कार्यक्रम में मास्टर्स के भाग के रूप में उनके शोध प्रबंधों के लिए निर्देशित किया जाता है। निर्दिष्ट और केंद्रित अनुसंधान कार्य पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप के स्तर पर किया जाता है। आईशअनुसंधान फंड और बाह्य फंड का उपयोग करके अनुसंधान अध्ययन भी किया जाता है।

**संपर्क करें**

डॉ. सुजीत कुमार सिन्हा, एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, श्रवणविज्ञान विभागअखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान मानसगंगोत्रीमैसूर - 570 006कर्नाटक राज्य, भारतटेलीफोन: 91-0821-2502361फैक्स: 91-0821-2510515ईमेल: sujitks5@gmail.com कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**नैदानिक मनोविज्ञान विभाग**

नैदानिक मनोविज्ञान विभाग, अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूरु में स्थित सबसे पुराने विभागों में से एक है। इसका पर्याप्त प्रमाण मिल चुका है कि संप्रेषण विकृतियों के शिकार बने कुछ लोगों में मनोसामाजिक समस्याओं का होना स्वाभाविक हैं। जाहिर है कि यह समस्या उनके बुनियादी संप्रेषण विकारों के कारण, या संबद्ध दोष अथवा विकारों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई होगी। मनोसामाजिक समस्याओं की पहल केवल मनोचिकित्सीय हस्तक्षेपन और पुनर्वास से सुधर सकती है। इसलिए विधित है कि विभाग के निम्नांकित क्रियाकलाप केंद्रित हैं.

•मानवशक्ति विकासनीय कार्यों के सभी स्तरों पर व्यक्ति के वाक्, श्रवण, भाषा व संप्रेषण बर्तावों के मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालना, एवं शिक्षा देना

•व्यक्ति के वाक्, श्रवण, भाषा व संप्रेषण बर्ताव संबंधी मनोसामाजिक पहलुओं पर जोर देते हुए आन्वयिक अनुसंधान या परस्पर विषयक अभिमुखी शोध-अधिशोध कार्य संचालन करना

•वाक्, श्रवण, भाषा व संप्रेषण विकारों के शिकार बने व्यक्तियों को नैदानिक व चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना तथा उनके जीवन की गुणवत्ता उन्नत बनाने में योगदान देना

•संप्रेषण विकारों की रोकथाम, पहचान व निर्वहण से संबद्ध मनोसामाजिक पहलुओं पर सजगता पैदा करने वाले सार्वजनिक शिक्षा क्रियाकलापों का आयोजन करना व साझेदारी लेना।

**उद्देश्य**

• मानव संसाधन विकास के ज़रिए मानसिक तथा व्यवहार संबंधी विकारों से बाधित व्यक्तियों की पहचान व निर्वहण में, जानकारी देना और कौशल बढ़ाना

•सक्षम पेशेवर बनने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक रूख़ जताते हुए क्रोड़ क्लिनिकी व प्रशिक्षण कौशलों से परिचित / अभ्यस्थ कराना

• रोग निर्धारण व विकासात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हुए अभ्यर्थी का परीक्षण करना तथा चिकित्सा व सेवा योजनाएं बनाना

•व्यक्ति में दर्शित भावात्मक अनबन हल्का करने, बर्ताव में बने बनाए बुरी आदतें उलटते या बदलते हुए, संप्रेषण समस्यओं से पीड़ित व्यक्ति व उसके परिजनों के व्यक्तित्व विकास में प्रोत्साहन देना।

**क्रिया- कलाप**

• विभाग, जोख़िम में रहे बच्चों के लिए तथा विभिन्न प्रकारीय संप्रेषण विकार व विकासात्मक असमर्थताओं के लिए, जिसमें मानसिक मंदता, आत्मविमोह, वाक् विलंबन, अधिगम असमर्थताएँ और बहुविध न्यूनताएं भी सम्मिलित हैं, विस्तृत नैदानिक व हस्तक्षेपन विधि आधारित मनोशैक्षिक मूल्यांकन करते हुए क्लिनिकी सेवाएं देने में तत्पर है।

•संप्रेषण विकृतिग्रस्त ज़रूरतमंद व्यक्ति व उनके परिजनों के लिए व्यक्तिगत तथा समूह परामर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन व कोचिंग, दिशा निर्देश आदि नियिमत रूप से दिए जाते हैं।

•योग्य मामलों में, केंद्र/ राज्य सरकार द्वारा असमर्थ व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कई प्रकारीय लाभ उठाने हेतु उचित प्रमाणन अथवा मेडिको-लीगल केसों का परीक्षण करते हुए, नियिमत तौर पर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं.

• विशेष ज़रूरतमंद बच्चों के लक्षित माता-पिताओं के लिए माता-पिता व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नेमी आयोजित किए जाते हैं।

आईश-एसएसए परियोजना, स्टूडेंट काउंसलिंगएनएसएस, आदिजैसे कुछ संस्थानों के विभागीय गतिविधियों जैसे विकास संबंधी विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए सर्टिफिकेट कोर्स (सी 4 डी 2), कर्नाटक में 'स्कूली बच्चों में शैक्षणिक समस्याओं पर शिक्षक की संवेदनशीलता' पर चर्चा के समन्वय पर प्रकाश डाला गया।

विकलांगों और बाधितों के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन या अभिभावक स्वयं सहायता समूहों के लिए अभिविन्यास, वकालत सह सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय से संबद्ध मनोविज्ञान में डॉक्टरेट / पूर्व-डॉक्टरल कार्यक्रमों पर मार्गदर्शन के लिए सीटों की सीमित संख्या मेधावी छात्रों के लिए उपलब्ध है।

तंत्रिकामनोविज्ञान अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र:

संस्थान में तंत्रिका मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन कर्नाटक राज्य के पूर्व लोकायुक्त डा. संतोष हेगडे महोदय ने 9 अगस्त 2013 को किया।

प्रस्तुत केंद्र, वाचाघात, मस्तिष्कवाहिकीय दुर्घटना (लक्वा अथवा सी वी ए), अधिगम असमर्थता(एल डी), प्रमस्तिष्क अंगाघात, गहरा मस्तिष्क घाव, पार्किन्सन की बीमारी, डेमेन्शिया, जैसी चिकित्सीय स्थितियों में तंत्रिका-संज्ञानात्मक शोध-अधिशोध व पुनर्वसन के क्षेत्र में प्रगतिशील और गैर-प्रगतिशील तंत्रिकासंबंधीच न्यूनताओं के लिए नोडल प्वाइंट बनकर स्थित है।

**केंद्र में दी जाने वाली सेवा में शामिल हैं:**

• मानकीकृत व्यक्तिगत परीक्षण विधियों के ज़रिए मस्तिष्क संबंधी विशिष्ट कार्य मूल्यांकन

•मानकीकृत परीक्षण श्रेणियों के ज़रिए लोबयूलार फ़क्शनों का विस्तृत मूल्यांकन

•पेपर पेंसिल तकनीक अथवा कंप्यूटर सहायीकृत पैकेजों के ज़रिए पुनर्वसन कार्य संचालन।

**संपर्क करें**

डॉ. एस. वेंकटेशन प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, नैदानिक मनोविज्ञान विभाग, अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान,मानसगंगोत्री, मैसूर - 570 006, कर्नाटक राज्य भारतकार्यालय फ़ोन: 91-0821-2502142ग्राम: वाक् और श्रवणईमेल: psyconindia@aiishmysore.inकार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 तककार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**नैदानिक सेवा विभाग**

**उद्देश्य**

विभाग के प्रमुख उद्देश्य छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण देना और संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करना है। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:

• विभिन्न संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षण देना।

* माता-पिता / देखभाल करने वालों और संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन, चिकित्सीय सेवाएं, मार्गदर्शन और परामर्श।
* राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों, विशेषाधिकारों और रियायतों के बारे में हितधारकों को शिक्षित करना।
* संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
* आधारभूत और संबद्ध पेशेवरों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, और अतिथि व्याख्यान आयोजित करना।
* नैदानिक अनुसंधान का संचालन करना और साक्ष्य आधारित अभ्यास को बढ़ावा देना।
* शिक्षकों, अभिभावकों / देखभाल करने वालों और संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करना।
* नैदानिक क्षेत्रों में नैतिक प्रथाओं के लिए मानक निर्धारित करना।
* संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न चिकित्सा कानूनी मुद्दों के लिए अदालत में गवाह के रूप में सेवा करना।
* वाक् -भाषा और श्रवण विकार के क्षेत्र में नैदानिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल केंद्र के रूप में कार्य करना।
1. **प्रशिक्षण**

**अ) नैदानिक प्रशिक्षण:** नैदानिक सेवा विभाग वाक्, भाषा और श्रवणविकार वाले व्यक्तियों के निदान और प्रबंधन के लिए आईशसे कर रहे डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डाक्टोरल छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। छात्रों को व्यवहार मानकीकृत परीक्षणों और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के संप्रेषण विकृति के मूल्यांकन और प्रबंधन में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनके कौशलों को शिक्षण सहायक सामग्री, रिपोर्ट के नैदानिक दस्तावेज, हस्तक्षेपन योजनाओं की तैयारी, गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सार्वजनिक शिक्षा सामग्री के लिए भी विकसित किया जाता है।

**आ) नैदानिक अभ्यास कक्षाएं:** सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी कम करने के लिए छात्र चिकित्सकों के लिए साप्ताहिक आधार पर कक्षाएं संचालित की जाती हैं। यह विभाग को नैदानिक क्षमता के उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करता है जो निर्धारित समय के भीतर ध्यान केंद्रित करके पूरा किया जाता है।

**इ) स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण:** संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में सामूहिक कार्य शामिल है। इस संबंध में, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों और संबद्ध क्षेत्रों के पेशेवरों के भी लाभ के लिए आयोजित किए जाते हैं। अभिविन्यास, मार्गदर्शन और प्रदर्शन पेशेवरों के विभिन्न समूहोंजैसे किमेडिकल कॉलेजों से स्नातकोत्तर ईएनटी छात्रों, पीएचसी चिकित्सा अधिकारियों, और विशेष शिक्षकों, विशेष और नियमित स्कूलों के शिक्षकों, माता-पिता / देखभाल करने वाले अलग-अलग अभिभावक, नर्स और ग्रामीण क्षेत्र के लोग, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रदान किए जाते हैं।

**2.नैदानिक सेवा**

**अ)नैदानिक सेवाएं**

सभी प्रकार के संप्रेषण विकृति के लिए, वाक् -भाषा रोगविज्ञानी और श्रवणविज्ञानी के एक समूह द्वारा विभिन्न आयु और भाषा समूहों के लिए व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया।

ईएनटी डॉक्टरों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, फिजियोथेरेपिस्ट और व्यावसायिक चिकित्सक जैसे संबद्ध पेशेवरों द्वारा पूर्णकालिक आधार पर परामर्श सेवाएं।

बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, फोनोसर्जन, प्लास्टिक सर्जन, प्रोस्थोडॉन्टिस्ट और ऑर्थोडॉन्टिस्ट जैसे संबद्ध पेशेवरों द्वारा अंशकालिक आधार पर परामर्श सेवाएं।

संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों और उनके देखभाल करने वालों के लिए परामर्श और मार्गदर्शन।

**आ) चिकित्सीय सेवाएं:**

लघु / दीर्घकालिक के लिए व्यक्तिगत और / या समूह के आधार पर चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनमे शामिल है,

श्रवण दोष, विशिष्ट भाषा दोष, मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात, आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार, वाचाघात आदि के लिए भाषा चिकित्सा

अधिगम असमर्थता वाले व्यक्तियों के लिए पढ़ना और लिखना उपचार कार्यक्रम।

अपउच्चारण, छिद्र ओष्ठ और तालु, उच्चारण दोष आदि वाले व्यक्तियों के लिए उच्चारण चिकित्सा।

स्वर की समस्या वाले व्यक्तियों के लिए स्वर चिकित्सा।

हकलाहट, अकड़न आदि से ग्रसित व्यक्तियों के लिए प्रवाह चिकित्सा।

न्यूरोमोटर समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी।

न्यूरोमाटर समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक चिकित्सा और संवेदी एकीकरण।

सीमित मौखिक तौर-तरीकों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए संवर्धित और वैकल्पिक संचार (एएसी)प्रशिक्षण।

जरूरतमंद हितधारकों के लिए पत्राचार के माध्यम से मार्गदर्शन।

**इ) विशेष क्लीनिक / इकाइयाँ**

क्लिनिक विशेष रूप से संप्रेषण विकृति वाले व्यक्तियों के व्यापक मूल्यांकन और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके स्थापित किए गए हैं। उनमें शामिल है:

* प्रवाह इकाई
* संवर्धन एवं वैकल्पिकइकाई (एएसी)
* आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकृति (एएसडी)इकाई
* स्ट्रक्चरल ओरोफेशियल विसंगतियों के लिए इकाई (यू-सोफा)
* भाषा - विकृतियों से ग्रसित वयस्क तथा वयोवृद्धों के लिए क्लिनिक (सीएइपीएलडी)
* अधिगम असमर्थता क्लिनिक
* वाक् चालन विकृति के लिए विशेष क्लिनिक
* वॉइस क्लिनिक
* लिजनिंग ट्रेनिंग (एल टी) इकाई

**ई)दौराकर वाक् चिकित्सक (आई एस टी) सेवाएं:**

यह सेवार्थी के नेमीवातावरण में वाक्- भाषा रोगविज्ञानी (एसएलपी) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को संदर्भित करता है। एसएलपी स्कूल में बच्चे के सामने आने वाली समस्या (माता-पिता की रिपोर्ट / चिकित्सक / पर्यवेक्षक का परामर्श) की पहचान करेगा और अगले महीने की स्कूल यात्रा के लिए ऐसे संप्रेषण की एक सूची तैयार करेगा। स्कूल की यात्रा के दौरान, शिक्षक को नियमित कक्षा में कक्ष समायोजन में संप्रेषण विकृति वाले बच्चों को शामिल करने के लिए संशोधनों को शामिल किया जाएगा।

स्कूल स्थानन के प्रकार (नियमित / विशेष / व्यावसायिक) के बारे में देखभाल करने वालों की परामर्श।

सेवा उन्मुक्त किए गए प्रदर्शन थेरेपी सेवार्थी का पालन करें / वाक् और भाषा चिकित्सा से बंद मामलों को टेलीफोन पर बातचीत के माध्यम से और उन्हें अनुवर्तन के महत्व पर परामर्श देनाI

गृह प्रशिक्षण के महत्व के बारे में देखभाल करने वाले / व्यक्ति की परामर्श करना और बच्चे सेवा उन्मुक्त की प्रक्रिया के दौरान / वाक् और भाषा चिकित्सा से अलग-अलग व्यक्ति का पालन करना।

"विभाग के उद्देश्यों और विभाग में दी जाने वाली सेवाओं" के बारे में आगंतुकों को उनकी चिकित्सा विभाग की यात्रा के दौरान उन्मुख करना।

आईश में दी जाने वाली सेवाओं के बारे में ई-मेल / पत्र के माध्यम से जनता के प्रश्नों के लिए पत्राचारI

**उ) अन्य सुविधाएं**

मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करना

उपस्थिति, स्कूल प्रवेश और भाषा छूट (जहां लागू हो) के लिए प्रमाण पत्र।

**इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग**

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग संस्थान की तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य करता है। विभाग में अभियंता अच्छी तरह से वाक् और श्रवण के क्षेत्र में सभी जैव चिकित्सा उपकरणों के अभियांत्रिकी और अनुप्रयोग, संचार विकारो वाले व्यक्तियों के लिए यंत्र और सहायक और शोर अंकेक्षण और परमाणन दोनों में प्रशिक्षण किया जाता है।हमारी सेवाओं के लाभार्थियों में श्रवणयन्त्र, सहायक श्रवणयन्त्र और एएसी, अन्य वाक् और श्रवण संस्थान, बिशेष विद्यालयों, उद्योग और आम जनता के उपयोग कर्ता भी शामिल है।

**उद्देश्य**

विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उचित प्रबंधन से संस्थान में कुशल और गुणवक्ता सेवाएं सुनिश्चित करना है। यह प्रौद्योगिकी नियोजन, प्रौद्योगिकी अधिग्रह और प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रक्रिया में हमारे संसाधनों के उचित उपयोग के माध्यम से महसूस किया जाता है।

**क्रिया- कलाप**

**अ)शिक्षण और प्रशिक्षण**

•प्रौद्योगिकी स्नातक छात्रों के परियोजना कार्य के लिए वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर, मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल और वीटीयू बेलगाम द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र।

•प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर छात्रों के परियोजना कार्य के लिए वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर, मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल और वीटीयू बेलगाम द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र।

•मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक और विद्युतीय, इलेक्ट्रानिकी और संचार प्रौद्योगिकी स्नातक में डिप्लोमा धारकों के लिये शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये प्रामाणित केन्द्र।

•श्रवण यन्त्र और कान का साँचा तकनीक में डिप्लोमा कार्यक्रम।

**आ) इन - हाउस गतिविधियाँ**

• दूरस्थ अध्ययन और पुनर्वसन कार्यक्रमों के लिये रूपरेखा, कार्यान्वयन और वीडियो सम्मेलन का प्रबंधन।

•निदान श्रवणविज्ञान उपकरणों का अंशशोधन।

•वाक् व श्रवण में सभी तरह के जैव- चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत, रखरखाव और देखभाल।

•डाटा और ध्वनि संचार माध्यम, कम्प्यूटर, विद्युत प्रणाली और बिजली वितरण तंत्र का प्रबंधन और रखरखाव।

•सभी तरह के श्रवण यंत्रों की मरम्मत, रखरखाव और विद्युत ध्वनि संबंधी मूल्यांकन।

•ध्वनिक ध्वनि संबंधी मापन।

•वाक् और श्रवण मेंजैव चिकित्सा उपकरणों कादेशीतकनीक द्वारा विकास।

•मानव संसाधन विकास।

•एडीआईपी योजना के तहत श्रवण यंत्रों को देना ।

•रियायती योजनाओं के तहत सभी प्रकार के श्रवण यंत्रों को देना व उनका परीक्षण करना।

**इ)बाह्य परामर्श सेवाएँ**

•माँग के अनुरूप यंत्रों व उपकरणों के विकास के लिये पुनर्वसन प्रौद्योगिकी केन्द्र।

•संचार विकारों वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं के आधार पर यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए पुनर्वास इंजीनियरिंग केंद्र।

•औद्योगिक इकाइयों, मशीनों, दफ़्तर में उपयोग किये जाने वाले उपकरण, यातायात शोर, पर्यावरण शोर आदि का ध्वनि संबंधी मापन और ध्वनि ऑडिट प्रमाण पत्रों को प्रदान करना।

•निदान श्रवणविज्ञान उपकरणों का अंशशोधन और मरम्मत।

•श्रवणविज्ञान परीक्षण के लिये ध्वनि रहित कमरों को स्थापित करने में मार्गदर्शन।

•श्रवण यंत्रों और श्रव्यातामितिय परक्रमण यंत्रों का विद्युत ध्वनि संबंधी मूल्यांकन।

•श्रव्‍यतामिति परीक्षण कक्ष का परीक्षण और प्रमाणन।

सभी भवनों के ध्वनिक मानकों का मापन।

**अनुसंधान**

क) अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया ख)जारीपरियोजना ग)बीटेक और एम टेक छात्रों के लिएपरियोजना मार्गदर्शन

**संपर्क करें**

श्री. एन. मनोहर,रीडर और विभागाध्यक्ष,इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान,मानसगंगोत्री,मैसूर - 570 006, कर्नाटक राज्य भारतटेलीफोन: 91-0821-2502200फैक्स: 91-0821-2510515ईमेल: manu@aiishmysore.in कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**सामग्री विकास विभाग**

सामग्रीविकासविभागवाक् , भाषा और श्रवण संबंधीसमस्याओंकीरोकथाम, पहचानऔरप्रबंधनकेबारेमेंआमजनताऔरपेशेवरोंकेलिएसामग्रीबनानेकेमुख्यउद्देश्यसेसन् 2003 केमार्चमेंकीस्थापनाकीगई| विभागवाक्,भाषाऔरश्रवणसंबंधीसमस्यासेग्रसितव्यक्तियोंकेलिएउपलब्धविभिन्नअधिकारोंऔरकल्याणकारीउपायोंकेबारेमेंजानकारीप्रदानकरनेहेतुसार्वजनिक शिक्षा सामग्रीविकसितकरताहै।अलगभाषाईपृष्ठभूमिकेव्यक्तियोंकोसमझानेकेउद्देशयसेयहाँविभिन्नभारतीयभाषाओंमेंसामग्रीविकसितकीजातीहै।विभागमेंसामग्रीविकसित आमतौरपरकार्यशालाओंकेमाध्यमसेयाअन्यस्त्रोतोंसेजानकारीप्राप्तकरकेकीजातीहै।सामग्रीइसतरहसेविकसितकीजातीहैकिमुख, अभिविन्यास, नुक्कड़नाटक, प्रचार-पुस्तिका, किताबें, भित्तिचित्र, वीडियो, रेडियोऔरथिएटरजैसेविभिन्नमीडियाकेमाध्यमोंसेजानकारीकोप्रसारितकियाजासके।विभाग सम्प्रेषण विकारों और अन्य हितधारकों वाले व्यक्तियों के रूप में उपलब्ध परीक्षण और चिकित्सा सामग्री और प्रशिक्षण सामग्री का भी काय करता हैं।

**गतिविधियाँ**

* विभाग शैक्षिकसामग्रीकेमुद्रणकार्य करता हैं।
* छायाग्रहणद्वारासंस्थानकीगतिविधियोंकाचित्रण|
* नैदानिकप्रशिक्षणवीडियोरिकॉर्डिंग औरविभिन्नसंस्थानमेंकिएगएगतिविधियोंकादृश्यीकरण|
* संस्थानद्वाराआयोजितसंप्रेषण न्यूनताकेबारेमेंजागरूकतापैदाकरनेकेलिएसार्वजनिकशिक्षासामग्रीकीडिजाइनिंगतथासम्मेलनों, कार्यशालाओंएवम्‌अन्यसेमिनारोंकेलिएप्रकाशनऔरप्रशिक्षणसामग्रीकीडिजाइनतैयारकरना।विवरणपुस्तिका, प्रचारपुस्तिका, पोस्टर, पुस्तकेंऔरपुस्तिकाएं, निमंत्रणपत्र, प्रमाणपत्र, वार्षिकरिपोर्ट्स, सीडीस्टिकर, विज्ञापन-पत्रएवंअन्यसामग्री शामिल करता हैं।
* रचनात्मकऔरप्रभावीलेखनकेमाध्यमसेविशेषज्ञोंऔरलक्षितदर्शकोंकेबीचकीखाईको कम करना।
* वाक्, भाषाऔरश्रवणसंबंधीसमस्याओंकीरोकथाम, पहचानऔरप्रबंधनकेबारेमेंसार्वजनिकशिक्षाकेलिएसामग्रीविकसितकरना।
* विभिन्नभाषाओंमेंसार्वजनिकशिक्षासामग्रीकाविकासकरना।
* विभिन्न भाषाओं में संप्रेषण विकारों वालेव्यक्तियोंकेलिएप्रशिक्षणसामग्रीकाविकासकरना।
* मौजूदासार्वजनिकशिक्षाऔरशिक्षणसामग्रीकाविभिन्नभाषाओंमेंअनुवाद।

**विभाग में सुविधाएं / अभिसंरचनात्मक संसाधन**

* प्रचारपुस्तिका, विवरणपुस्तिका, पोस्टरआदिडिजाइनकरनेकेलिएसॉफ्टवेयर।
* परीक्षण/चिकित्सासामग्रीकेमुद्रणऔरअनुकृतिकेलिएउपकरण।
* पेशेवरऑडियोरिकॉर्डिंगकेलिएसुविधाएं (उपकरणऔरध्वनिकबूथ)।
* छायाग्रहण/ दृश्यीकरणकेलिएरिकॉर्डिंगउपकरण।

**विभाग द्वारा प्राप्तउपलब्धियाँ**

• मैसूर में दि. 05/12/2004 को आयोजित राष्ट्रीय स्तर थिएटर महोत्सव शीर्षक ‘बहुरूपी’ के लिए एक नुक्कड़ नाटक ‘वाणी’ तैयार किया गया।

•पोस्टर बनाने के लिए दि. 08/01/2005 पर एक कार्यशाला आयोजित की गयी। प्रतिभागियों ने कार्यशाला के दौरान 15 पोस्टरों को बनाया।

•विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दि. 05/12/2005 को संप्रेषण विकारों संबंधी समस्याओं पर कन्नड़ में एक नुक्कड़ नाटक ‘सफलतेगिदुवे सरिदारि’ (सफलता के लिए सही रास्ता), को आयोजित और साथ में मंचन किया गया।

**आगामी परियोजनाएँ / विस्तार का क्षेत्र:**

•1965 से संस्थान की गतिविधियों को दर्शाने के लिए तस्वीरों के डिजिटल आर्काइव को विकसित किया जा रहा है |

•विभाग की गतिविधियों के लिए ई-वर्क ऑर्डर की व्यवस्था।

•विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विभिन्न संचार विकारों पर सार्वजनिक शिक्षा सामग्री की अधिक संख्या में विकास|

•रेडियो कार्यक्रमों की रचना, और संचार विकारों पर विज्ञापन का निर्माण |

**संपर्क करें**

डॉ. ब्रजेश प्रियदर्शी, रीडर - भाषाविज्ञान वाक् भाषा रोगनिदान विभागप्रमुख – डीएमडी,सामग्री विकास विभाग,अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान,मानसगंगोत्री, मैसूर - 570 006 कार्यालय फ़ोन: 2502269फैक्स: 91-0821-2510515ग्राम: भाषणईमेल: brajeshaiish@gmail.com

डॉ. वसंत लक्ष्मी एम. एस.वाक् भाषा रोगनिदान विज्ञान के जैव सांख्यिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसरप्रभारी प्रमुख –डीएमडीसामग्री विकास विभागअखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मनसागंगोत्रीमैसूर -570006 फोन: 2502265ईमेल: msvlakshmi@yahoo.co.in कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तककार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार केंद्रीय सरकारकी छुट्टियोंको छोड़कर।

**ऑटोराइनोलेरिनगोलॉजी विभाग**

ऑटोराइनोलेरिनगोलॉजीसंचार विकारों वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाली दवा की एक विशेष शाखा है। यह बी.एससी., / एम. एससी(वाक् और श्रवण) के छात्रों को प्रशिक्षित करता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मैसूर मेडिकल कॉलेज, मैसूर से जुड़ी के. आर. अस्पताल में विशेष रूप से वाक् और श्रवण संबंधी विकारों से संबंधित विभिन्न प्रकार की ऑटोराइनोलेरिनगोलॉजी समस्याओं की सर्जरी की जाती है। विभागीय कर्मचारी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित शिविरों (सार्वजनिक शिक्षा) में भाग लेते हैं। वाक् और श्रवण मामलों का पुनर्वास भी किया जा रहा है।

1. **शिक्षण और प्रशिक्षण**

संप्रेषण विकारों के कारणईएनटी के रोगों में वाक् और श्रवण केमास्टर डिग्री छात्रों बैचलर्स को पढ़ाना।संप्रेषण विकारों के कारण ईएनटी से ग्रसित पीड़ित रोगियों को चिकित्सा, मेडिकल और सर्जिकल उपचार की पेशकश करना। संप्रेषण विकारों के कारण ईएनटी के रोगों के लिए आवश्यकता आधारितअनुसंधान गतिविधियों को करना।संचार विकारों के कारण ईएनटी रोगों पर जनता को शिक्षित करना।

1. **नैदानिक सेवाएँ**

1. आईश में नैदानिक सेवाएँ

• नैदानिक ईएनटी परीक्षा प्रक्रिया

चिकित्सा प्रबंधन विशेष क्लीनिक

2. संस्थान के मरीजों के लिए के. आर. अस्पताल में सेवाएं।

विभाग के. आर. अस्पताल में एक इकाई चलाता है जो मैसूर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान से जुड़ा हुआ है।

विभाग के. आर. अस्पताल, मैसूर में एक आउट पेशेंट यूनिट (D यूनिट) चलाता है।

पुरूष और महिलावार्डों में प्रत्येक में लगभग 10 बिस्तरों को रोगी की सुविधा के लिए प्रदान किया जाता है।

ऑपरेशन थिएटर में प्रमुख और मामूली सर्जिकल प्रक्रियाएं की जाती हैं।

1. **विशेष**

**क्लिनिक वर्टिगो**

क्लिनिक

केंद्रीय व परिधीय वर्टिगो के विभेदक निदान के लिए एक परीक्षण बैटरी और नैदानिक प्रोटोकॉल विकसित करना, जिसमें एक बहु अनुशासनिक टीम शामिल है।

प्रत्येक प्रकार के वर्टिगो के लिए उपचार मॉड्यूल विकसित करना।

जटिलताओं का निवारण करने के लिए पूर्वानुमान, रोग का निदान और उपाय करना।

वैकल्पिक उपचार प्रोटोकॉल की तुलना करना।

उच्च जोखिम वाली रजिस्ट्री विकसित करना।

**गतिविधियाँ**

क. शिक्षण और प्रशिक्षण

ख. नैदानिक सेवाएँ

ग. विशेष क्लिनिक

**लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम**

एम.एस. ईएनटी (पोस्ट ग्रेजुएट) अन्य मेडिकल कॉलेज से उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए

अ. माइक्रोस्कोपी

आ. एंडोस्कोपी

इ. आवृत्तिदर्शी

ई. वर्टिगो का मूल्यांकन

**आधारिक संरचना**

• अच्छी तरह से सुसज्जित 5 परामर्श कक्ष

• माइक्रोस्कोपी

• स्वास्थ्य देखभाल केंद्र

• टेम्पोरल बोन डिसेक्शन लैब

• एंडोस्कोपी / स्ट्रोबोस्कोपी कमरा

• वर्टिगो लैब

**सार्वजनिक शिक्षा और विस्तार सेवाएं**

• मासिक सार्वजनिक व्याख्यान श्रृंखला

•शिविर

• एसएसए कार्यक्रम

• टीवी कार्यक्रम

**संपर्क करें**

डॉ. टी. के. प्रकाश रीडर और विभागाध्यक्ष, ई.एन.टी. ऑटोराइनोलेरिनगोलॉजीविभागअखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मनसागंगोत्रीमैसूर - 570 006 कर्नाटक राज्य भारतटेलीफोन: 91-0821-2502240फैक्स: 91-0821-2510515ग्राम: वाक् श्रवण ईमेल: drprakashtk@aiishmysore.inकार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**विशेष शिक्षा विभाग**

अप्रैल 2005 में आईशमें विशेष शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के लिए, विभाग में कार्य दल को सर्वोत्तम शैक्षणिक सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए अनुकूल बना लिया जाता है। विभाग के कर्मचारी विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रशिक्षित करने, संस्थागत और सहयोगात्मक अनुसंधान का संचालन करने, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने, देखभाल करने वालों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने, सूचना का प्रसार करनेऔर अन्य पेशेवरों के लिए संसाधन, और देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने में शामिल हैं।

**लक्ष्य और उद्देश्य**

विशेष शिक्षा विभाग समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयासों के माध्यम से संचार विकारों वाले बच्चों की शैक्षिक मुख्यधारा के अंतिम लक्ष्य की ओर प्रयास करता है। विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है:

• संचार विकारों वाले बच्चों की विशेष शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।

• संचार विकारों वाले बच्चों को गुणवत्ता विशेष शैक्षिक सेवाएं प्रदान करना।

• विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों को बढ़ावा देना।

• देश भर के विभिन्न लक्षित समूहों के लिए विशेष शैक्षिक, सेवाओं के लिए प्रासंगिक अभिविन्यास और उन्मुखीकरण और संवेदीकरण कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से जानकारी केलिए प्रसार करना।

**क्रियाएँ**

अ) मानव संसाधन विकास:

विभाग बच्चों को पूर्वस्कूली स्तर पर, समावेशी स्कूलों और विशेष स्कूलों में श्रवण दोष के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और आधारित अनुसंधान की आवश्यकता के लिए मानव संसाधन विकास में शामिल है।

डीइसीएसइ - एचआई: डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन - (हियरिंग इम्पेयरमेंट)

बी.एड.स्पे.एजु.(एचआई):बैचलर्स ऑफएजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन - (हियरिंग इम्पेयरमेंट)

एम.एड.स्पे.एजु.(एचआई):मास्टर ऑफएजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन - (हियरिंग इम्पेयरमेंट)

**अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम**

प्री-सर्विस और इन-सर्विस स्कूल शिक्षकों और प्रारंभिक बचपन के शिक्षकों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम

कर्मचारी संवर्धन कार्यक्रम (एसइपी) अभिभावक संवर्धन कार्यक्रम (पीइपी) अभिभावक सहायता अभिभावक कार्यक्रम (पीएचपीपी)

**आ) संचार विकार वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक सेवा वितरण**

विशेष शैक्षिक मूल्यांकन इकाई (एसईए-यू), पैरेंट इन्फैंट प्रोग्राम (पीआईपी), प्रीस्कूल पैरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम (पीपीईपी), प्रीस्कूल प्रोग्राम, प्रीस्कूल अनुपूरक सेवा (पीएसएस), ग्रुप एजुकेशनल गाइडेंस सर्विस (जीईजीएस), इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम (आईईपी), करिकुलम सपोर्ट सर्विसेज (सीएसएस), नॉन-फॉर्मल एजुकेशन (एनएफई), डिमॉन्स्ट्रेशन एजुकेशनल ट्रेनिंग (डीईटी) और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चों कोजैसे विभिन्न शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए)प्रदान की जाती है और उनकी देखभाल प्रदान की जाती हैं।

पूर्वस्कूली में समानांतर शिक्षण के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का प्रबंधन करने के लिए माता-पिता / देखभाल करने वालों को सशक्त बनाया जाता है। उनके ज्ञान का आधार आवधिक अभिविन्यास कार्यक्रम के माध्यम से समृद्धहै। संचार विकारों वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित करने के लिए उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, बुनियादी साक्षरता और कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न सेवाओं का विवरण चित्र 1 में दिखाया गया है।

शैक्षिक सेवा वितरण

आधारभूत शैक्षिक सेवा

विशेष शैक्षिक मूल्यांकन इकाई -

स्कूल जाने की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए–

माता-पिता शिशु कार्यक्रम(पीआईपी)

 प्रीस्कूल माता पिता सशक्त्तिकरण कार्यक्रम (पीपीईपी)

समूह शैक्षिक मार्गदर्शन व परामर्शन सेवाएँ (जीईजीएस)

प्रीस्कूलसेवाएँ(पीएस)

प्रीस्कूलपूरक सेवाएँ (पीएसएस)

स्कूल या बाहर जाने की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए–

पाठ्यक्रम मदद सेवाएँ (सीएसएस)

व्यक्त्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी)

अनौपचारिक शिक्षा (एनएफई)

प्रदर्शन शिक्षा प्रशिक्षण (डीईटी)

* पुस्तकों व खिलौनों का पुस्तकालय( लिबोटॉय)
* शैक्षणिक प्रौधोगिक प्रयोगशाला

मदद सेवाएँ

* देखभाल साक्षरता प्रशिक्षण इकाई
* देखभाल कम्प्यूटर प्रशिक्षण इकाई
* मुख्यधारा स्कूल अपनाना

**पूर्वस्कूली प्रशिक्षण**

**गतिविधियाँ**

आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकारों, प्रमस्तिष्कीय अंगाघात, श्रवण दोष और मानसिक मंदता, और विलंबित विकास जैसे संचार विकारों के साथ सम्प्रेषण21/2वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शुरुआती उत्तेजना / हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करता हैं।

2 1/2 से 6 वर्ष तक के विकास के युग में बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रारंभिक गहन पूर्वस्कूली प्रशिक्षण प्रदान करता है। कन्नड़, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में श्रवण दोष, मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्कीयअंगाघात और आत्मविमोह स्पेक्ट्रम विकार वाले विशेष जरूरतों वाले बच्चें इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

पूर्वस्कूली प्रशिक्षण बचपन के विकास के सभी आवश्यक क्षेत्रोंजैसे भाषा कौशल विकास पर विशेष जोर देने के साथ स्वयं सहायता, संज्ञानात्मक, मोटर, सामाजिक को कवर करता हैं।

पूर्वस्कूली प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास और विभिन्न कौशल क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम के क्रमिक उन्नयन के साथ समर्थित हैं।

पूर्वस्कूली और अनुवर्ती सेवाओं से पास होने वाले बच्चों की सफल मुख्यधारा के लिए समर्थन करता हैं।

विभिन्न क्षेत्रों (दृश्य, जोड़ तोड़ मॉडल, शैक्षिक खेल सामग्री और इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया सामग्री) में कौशल प्रशिक्षण के लिए पूर्वस्कूली बच्चों के लिए विभिन्न नवीन शिक्षण-अधिगमयंत्र का विकास।

संचार विकारों वाले बच्चों को प्रारंभिक सेवाएं प्रदान करने के अलावा, पूर्वस्कूली भी व्यावसायिक क्षेत्रों और देखभालकर्ताओं से संबंधितप्रशिक्षुओं जैसे संचार विकारों वाले बच्चों की शिक्षा में शामिल महत्वपूर्ण हितधारकों की क्षमता निर्माण में शामिल है।

• संचार विकारों वाले बच्चों की देखभाल करने वालों को सशक्त बनाना

• वाक् और श्रवणऔर विशेष शिक्षा के क्षेत्रों से डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण।

• पूर्वस्कूली में शिक्षण के साथ-साथ समानांतर शिक्षण के लिए प्रशिक्षण

• संचार विकारों वाले बच्चों को प्रशिक्षित करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर माता-पिता के ज्ञान और कौशल को समृद्ध करने के लिए समय-समय पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम

• संचार विकारों वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करने में व्यावहारिक प्रशिक्षण

**उपकरण**

पूर्वस्कूली संचार को सक्षम करने के साथ-साथ सहायक श्रवण उपकरणों जैसे एफएम श्रवण यंत्रों मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, 52 "टेलीविजन जैसे दृश्य-श्रव्य सहायक; चिकित्सीय और शैक्षणिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने वाले बाहरी खेल उपकरण विस्तृत करना; और कई कंप्यूटरों के साथ-साथ शैक्षिक सीडी और सॉफ्टवेयर की विस्तृत रेंज मल्टीमीडिया शैक्षिक सामग्री के साथ सहित बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सुसज्जित है।

**उपलब्धियां**

पूर्वस्कूली बच्चों को2005- 06 के शैक्षणिक वर्ष सेविशेष आवश्यकताओं जैसे कि आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय अंगाघात, श्रवण दोष और मानसिक मंदता के साथ मुख्यधारा में लाने में मदद करती हैं। हर साल औसतन 35 से 40 बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा के लिए सिफारिश किया जाता है।

पाठ्यचर्या कौशल प्रशिक्षण के अलावा, पूर्वस्कूली बच्चे भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अतिरिक्त पाठ्येतर और सह—ाठयक्रम कार्यक्रमों में कई ख्याति जीतते हैं। वे मैसूर में वार्षिक क्षेत्रीय विशेष ओलंपिक मिलन,साथ ही हर साल विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब ऑफ मैसूर द्वारा आयोजित प्रतिभा प्रतियोगिताएं मेंस्वर्ण और रजत पदक जीतते हैं।

**अनुसंधान - जारी**

एआरएफरिसर्च शीर्षक संचार विकारों के साथ मुख्यधारा के बच्चों में आईशकी बहु-विषयक प्रारंभिक सेवाओं की प्रभावकारिता -डॉ. विजयलक्ष्मी बासवराज, डॉ. जी. मलारवश्री. सी. बी. सुरेश

इन हाउस रिसर्चशीर्षक आईश प्रीस्कूल में देखभाल करने वालों का सशक्तिकरण के प्रभावकारिता का अध्ययन-

डॉ. विजयलक्ष्मी बासवराज, एट अल।

**संपर्क करें**

डॉ.पी. मंजुला प्रोफेसर– श्रवणविज्ञान विभागाध्यक्ष विशेष शिक्षा विभागपीएच ऑफ (एक्सटेन): - 2502000- 2570ई-मेल: manjulap21@aiishmysore.inकार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 05:30 तक कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**वाक् भाषा विज्ञान विभाग**

**गतिविधियाँ**

वाक्-भाषा विज्ञान विभाग ने विविध गतिविधियाँ जैसे डिप्लोमा, स्नातक-पूर्व, स्नातक, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट स्तर पर जनशक्ति संसाधनों के विकास, संस्थागत और सहयोगात्मक अनुसंधान का संचालन, संचार विकारों वाले व्यक्तियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, नैदानिक कार्यक्रम में छात्रों का मार्गदर्शन करना, और अन्य पेशेवरों के लिए सूचना और संसाधनों का प्रसार करने का किए हैं। विभाग का दृष्टिकोण वाक् और भाषा तंत्र और उसके कार्यों की गहन समझ के साथ भारत की विविध आबादी की सेवा करना है। वाक् और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के साथ, विभाग में कार्य दल को प्रशिक्षण और नैदानिक कार्यक्रमों के लिए सर्वोत्तम संभव तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान-आधारित सबूत पेश करने की दिशा में तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभाग का उद्देश्य भारत के विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक और भाषाई आबादी से बच्चों और वयस्कों में वाक् और भाषा के विकारों की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करना है।

**विभाग के उद्देश्य:**

वाक् और भाषा विज्ञान में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाना।

वाक् और भाषा विज्ञान में अंतर्विषयक अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उत्पन्न करना।

वाक् और भाषा मापदंडों के मापन के लिए समान दिशा-निर्देश, प्रक्रिया, प्रोटोकॉल स्थापित करना।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और / या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों और विभाग के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में सीखने के उच्च केंद्रों के अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुसंधान के लिए सहयोगी नेटवर्क को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों के बीच नेटवर्किंग के माध्यम से भारत में वाक् और भाषा विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना।

वाक् और भाषा विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय शीर्ष केंद्र के रूप में सेवा करना, अन्य संस्थानों, एजेंसियों को वाक् और भाषा विज्ञान में बुनियादी और उन्नत तरीकों में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

प्रकाशनों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय के लिए वाक् और भाषा विज्ञान से संबंधित पहलुओं पर सूचना का प्रसार करना।

**1. शिक्षण और प्रशिक्षण**

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

बी. एससी (वाक् और श्रवण)

एम. एससी। (वाक्-भाषा दोष विज्ञान)

एम. एससी (ऑडियोलॉजी)

पीजी डिप्लोमा - फॉरेंसिक स्पीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी में

डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल स्तर

अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

**2. नैदानिक सेवाएं**

निदान और पुनर्वास

पेशेवर आवाज की देखभाल

आत्मकेंद्रित बच्चों (ऑटिज्म)के लिए श्रवण एकीकरण चिकित्सा

संचार विकारों की रोकथाम

3. **बाहरी अनुसंधान**

बाह्य परियोजनाएं

आईश रिसर्च फंड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

डॉक्टरेट थीसिस के लिए डॉक्टरेट और डॉक्टरेट के बाद के उम्मीदवारों के लिए मार्गदर्शन

शोध प्रबंध के लिए मास्टर्स के छात्रों को मार्गदर्शन

परियोजनाओं के लिए पीजीडीएफएसएसटी का मार्गदर्शन

**4. सार्वजनिक शिक्षा अभिविन्यास / संवेदीकरण**

आवाज की देखभाल पर अभिविन्यास / संवेदीकरण कार्यक्रम

संचार विकारों पर अभिविन्यास कार्यक्रम

सार्वजनिक शिक्षा के पुस्तिकाएँ विकसित करना

रेडियो की बात

**5. अत्याधुनिक उपकरण / सॉफ्टवेयर के साथ ढांचागत सुविधाओं के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ**

वाक् विज्ञान

भाषा विज्ञान

पेशेवर आवाज़ की देखभाल / प्रोफेशनल वॉयस केयर

विधि चिकित्साशास्त्र संबंधी वाक् अभिज्ञान / फोरेंसिक भाषण पहचान

वाक् क्रिया विज्ञान / स्पीच फिजियोलॉजी

स्नायु-जाल क्रिया विज्ञान / न्यूरोफिजियोलॉजी

ध्वनि विज्ञान

छंदशास्र

**6.** विधि चिकित्साशास्त्र संबंधी वक्ता अभिज्ञान / देश में विभिन्न राज्यों के न्यायिक और पुलिस विभागों से मामलों का सत्यापन

**संपर्क करें**

डॉ. एम. संतोषएसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्षअखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मानसागंगोत्री, मैसूर – 570006, कर्नाटक राज्य, भारतदूरभाष क्रमांक: 91-0821–2502523फैक्स: 91-0821-2510515ई-मेल: santoshm79@gmail.com

कार्य-समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तककार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**वाक् भाषा दोष विज्ञान विभाग**

**गतिविधियाँ**

1. **शिक्षण और प्रशिक्षण**

विभाग के संकाय निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को पढ़ाने में शामिल हैं:

वाक् - भाषा दोष विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी. वाक् - भाषा दोष विज्ञान)

श्रवण विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एससी. श्रवण विज्ञान)

विशेष शिक्षा (श्रवण न्यूनता) में स्नातकोत्तर (एम.एसएड. (एचआई)

श्रवण विज्ञान और वाक् - भाषा दोष विज्ञान में बी.एससी. (बी.ए.एसएलपी) विशेष शिक्षा (श्रवण न्यूनता) में बी.एसएड. (बी.एसएड. (एचआई))

स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के लिए नैदानिक भाषाविज्ञान में डिप्लोमा (पीजीडीसीएल - एसएलपी)

संचार का संवर्धित और वैकल्पिक रूप में डिप्लोमा (पीजीडीएएसी)

ट्रेनिंग इन यंग डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग (डीटीवाईडीएचएच)

विकासात्मक विकलांग बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स (सी4डी2)

वे अपने स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री की पूर्ति के रूप में शैक्षणिक अनुभाग द्वारा संचालित जर्नल क्लब और नैदानिक सम्मेलनों के लिए छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में भी शामिल हैं।

देश में कार्यरत विभिन्न पेशेवरों के ज्ञान और प्रशिक्षण के लिए हर साल कई सेमिनार / कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लघु- अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक से अनुमोदन के साथ निम्न स्वास्थ्य और पुनर्वास पेशेवरों के लिए आयोजित किए जाते हैं:

मेडिकल कॉलेजों से स्नातक ईएनटी छात्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद् चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता

विशेष शिक्षकें

बहरों के शिक्षकें

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता

नर्स और आधार स्तर स्वास्थ्य कार्यकर्ता

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचार विकारों की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम, संचार विकारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, वाक् - भाषा के सामान्य विकास, वाक् - भाषा दोष विकार वाले व्यक्ति के परिवार के लिए परामर्श और विभिन्न वाक् - भाषा दोष विकार के लिए घर प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे विषयों की एक श्रृंखला को सम्मिलित करते हैं।

**आ) नैदानिक गतिविधियों और विशेष इकाई**

वाक् भाषा दोष विज्ञान स्पीच एंड हियरिंग पाठ्यक्रम के दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। विभाग विभिन्न प्रकार के संचार विकारों वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन, निदान, परामर्श और प्रबंधन में शामिल है। संचार दोष विकार वालों के विस्तृत मूल्यांकन में वाक् कौशल समस्याओं (जैसे कि उच्चारण, वाक् धाराप्रवाहिता और स्वर विकार), भाषा की समस्याएं (जैसे विलंबित भाषा विकास, मानसिक प्रतिशोध, मस्तिष्क पक्षाघात,विशेष भाषा दोष और वाचाघात) और संबंधित विकार (जैसे निगलने में और मौखिक संरचनाओं में कठिनाई) शामिल है। केस इतिहास से शुरू करके विशेष प्रक्रियाओं वाक भाषा चिकित्सा परीक्षा का उपयोग करते हुए, निदान पर पहुंचने के लिए कई परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। नियमित आधार पर संचार विकारों वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर परामर्श और मार्गदर्शन सेवाएं ग्राहकों और उनके परिवारों को प्रदान की जाती हैं|

 विभाग संबन्धित संप्रेषण विकृतियों व थीम के विशेषकृत मूल्यांकन और प्रबंधन प्रदान करने के लिए सात विशेषकृत नैदानिक इकाइयां चलाता है| इन इकाइयों का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत आधार पर प्रभावी संचार प्रदान करना है। वाक् भाषा दोष विभाग इन विकारों से संबंधित विशिष्ट विषयों पर संसाधन सामग्री और सार्वजनिक शिक्षा सामग्री के विकास में भी शामिल है। विभाग द्वारा संचालित विशेष नैदानिक इकाइयाँ निम्नलिखित हैं:

ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन (AAC) इकाई: यह एक विशेष इकाई है जो संचार के ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन तरीकों पर सीमित मौखिक संचार कौशल वाले लोगों का चयन और प्रशिक्षण देती है। यह इकाई एएसी में व्यक्तियों की उम्मीदवारी का आकलन करती है, उन्हें एएसी यंत्र का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देती है और एएसी में अनुसंधान भी करती है।

 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) इकाई: यह इकाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एएसडी) / पेरवेसिव डेवलपमेंट विकार (पीडीडी) वाले व्यक्तियों के अनुसंधान मूल्यांकन, निदान और प्रबंधन पर केंद्रित है। यह इस स्थिति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर शोध भी करता है। व्यापक प्रबंधन विकल्प यहां उपलब्ध हैं जिनमें शामिल हैं वाक् भाषा चिकित्सा , ऑक्यूपेशनल चिकित्सा और संवेदी एकीकरण प्रशिक्षण|

 भाषा दोष के साथ वयस्क और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए क्लिनिक (CAEPLD): यह विशेष रूप से वाचाघात, मस्तिष्क चोट, मनोभ्रंश और अन्य संचार विकारों वाले वयस्क और बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता के आकलन, पुनर्वास और सुधार पर केंद्रित है।

 डिस्फ़ेजिया यूनिट: डिस्फ़ेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को भोजन और तरल पदार्थ निगलने में कठिनाई होती है। यह विशेष क्लिनिक अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित पेशेवरों से सुसज्जित है और वे निगलने की कठिनाई वाले व्यक्तियों की पहचान, मूल्यांकन और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मोटर स्पीच डिसऑर्डर (MSD) के लिए विशेष क्लिनिक: एमएसडी क्लिनिक का प्राथमिक उद्देश्य मोटर स्पीच डिसऑर्डर वाले लोगों की जरूरतों की सेवा करना है (यानी जो स्ट्रोक, चोट, संक्रमण, ट्यूमर या मस्तिष्क पक्षाघात के कारण तंत्रिका तंत्र की क्षति से बोलने में असमर्थ हैं)।

 स्ट्रक्चरल ओरो-फेशियल एनोमलीज (यू-एसओएफए) के लिए इकाई: यह इकाई मरम्मत किए गए छिद्र होंठ और तालु और अन्य ओरोफेशियल विसंगतियों के साथ ग्राहकों को व्यापक प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती है। इस इकाई के टीम सदस्यों में प्लास्टिक सर्जन स्पीच -लैंग्वेज पैथोलोजिस्ट और प्रोस्टोडोन्टिस्ट शामिल हैं। ओरोफेशियल विसंगतियों वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन और प्रबंधन व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। छिद्र होंठ और / या तालू की मरम्मत के लिए सर्जरी से पहले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग भी यहां तैयार किए जाते हैं।

लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक: इस इकाई का उद्देश्य सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों को व्यापक मूल्यांकन और प्रबंधन प्रदान करना है। प्रबंधन रणनीति पर पहुंचने से पहले सीखने की विकलांगता के लक्षणों वाले बच्चे को उनकी क्षमताओं को समझने के लिए कई परीक्षणों पर मूल्यांकन किया जाता है। इस इकाई में टीम के सदस्यों में वाक-भाषा रोगविज्ञानी, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षक शामिल हैं।

इस इकाई में टीम के सदस्यों में वाक्-भाषा रोग निदानी, मनोवैज्ञानिक और विशेष शिक्षक शामिल हैं।

1. **अनुसंधान गतिविधियाँ**

अनुसंधान वाक्‍- भाषा दोष विभाग की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। विभाग के संकाय स्न्यातक और स्नातकोत्तर छात्रोंके वैज्ञानिक प्रपतों गतिविधियाँ की प्रस्तुति और प्रकाशन के लिए अनुसंधान करने में लगातर शामिल करते हैं। छात्रों कोउनकेशोधप्रबंधकेलिएउनकेमास्टरडिग्रीकीपूर्तिकेरूपमेंभीनिर्देशितकियाजाताहै।कईडॉक्टरेटछात्रोंकोविभागकेसंकायसदस्योंद्वाराथीसिस(शोधप्रबंध)तैयारकरनेकेलिएमार्गदर्शनप्रदानकियाजाताहै।

**अनुसंधान प्रयोगशालाएँ**

विभागकेपासपाँचविशेषप्रयोगशालाएँहैं, जहाँबच्चों, वयस्कोंमेंवाक्(स्पीच),भाषा, संचार, औरनिगलनेवालेविकारोंसहितविभिन्नविषयोंपरसंकाय, डॉक्टरलरिसर्चफैलो, कर्मचारीऔरछात्रों (संकायकेमार्गदर्शनमें) द्वाराअनुसंधानगतिविधियाँकीजातीहैं।अनुसंधान में बहु-विषयक ध्यान को अधिक महत्व दिया जाता है।

**भाषा रोग निदान प्रयोगशाला:**

यहप्रयोगशालावर्तना/ व्यवहार/ बिहेवियरलऔरइलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकलतरीकोंकाउपयोगकरकेभाषाप्रसंस्करणप्रयोगोंकासंचालनकरनेकीसुविधाओंसेसुसज्जितहै।अन्यसंसाधनजैसेकिमौखिकऔरगैर-मौखिकभाषासमझकेलिएव्यवहारपरीक्षण, औरअभिव्यक्तिभीअनुसंधानऔरसंदर्भउद्देयांकेलिएउपलब्धहैं।

**वाक् रोग विज्ञान प्रयोगशाला:**

वाक् दोष निदान प्रयोगशाला वाक् विकारोंकेविभिन्नध्वनिक(एकॉस्टिक)औरविज्ञान संबंधीपहलुओंकेविश्लेषणकेलिएउपकरणोंऔरसॉफ्टवेयरसेसुसज्जितहै, जोअनुसंधानऔरप्रशिक्षणउद्देयांकेलिएउपयोगकियाजाताहै।

**आर्टिकुलोग्राफ प्रयोगशाला:**

यहप्रयोगशालावाक् उत्पादनकेदौरानआर्टिकुलोग्राफ के चालनकेआंदोलनकोट्रैककरनेकेलिएआर्टिकुलोग्राफएजी 500 औरआर्टिकुलोग्राफएजी 501 सेसुसज्जितहै।इसउपकरणकाउपयोगव्यापकरूपसेगतिज (कीनेमेटिक)अनुसंधानअध्ययनकेलिएकियाजाताहै।

**निगलने की विकार प्रयोगशाला:**

निगलनेसंबंधीविकृतिप्रयोगशालानिगलनेवालेविकृतिव्यक्तियोंकेमूल्यांकनऔरप्रबंधनकेलिएविशेषउपकरणोंसेसुसज्जितहै।प्रयोगशालानिगलने केक्षेत्रमेंछात्रोंऔरशोधकर्ताओंकोइसविज्ञानमेंअनुसंधानकरनेकेलिएप्रोत्साहितकरतीहै।विभिन्नश्रव्य-दृश्यसामग्रीऔरसंदर्भमार्गदर्शिकाएँसीखनेऔरअभ्यासकेलिएछात्रोंकेलिएउपलब्धहैं।

**आई ट्रैकिंग प्रयोगशाला:**

यह वाक् भाषा दोष विज्ञान विभाग के आधारित संरचना के लिए सबसे नया जोड़ है। प्रयोगशाला में आंखों पर नज़र रखने के लिए उच्च परिशुद्धता उपकरण हैं जो फ़ोकस मैप, हीट मैप और आई ट्रेल्स उत्पन्न कर सकते हैं। यह पढ़ने और इसके प्रसंस्करण से संबंधित कई छात्र शोध और परियोजनाओं के लिए अनुसंधान स्थल है।

**अनुसंधान परियोजनायें**

विभागकेसंकायअतिरिक्तभित्तिवित्तपोषणएजेंसियोंजैसेविज्ञानऔरप्रौद्योगिकीविभाग (डीएसटी), यूनिसेफ, भारतीयचिकित्साअनुसंधानपरिषद (आइसीएम्आर) आदिद्वारावित्तपोषितअनुसंधानपरियोजनाएंकरतेहैं।

चल रहे अनुसंधान परियोजनाओं की सूची शोध पत्र

विभागकेसंकायराष्ट्रीयअंतर्राष्ट्रीयप्रस्तुतियोंकेसाथ-साथप्रकाशनकेमाध्यमसेवैज्ञानिकअनुसंधानऔर इसकेनिष्कर्षोंकेप्रसारमेंशामिलहोतेहैं।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित वैज्ञानिक शोधपत्र (2017-18)

राष्ट्रीयऔरअंतर्राष्ट्रीयसम्मेलनोंमेंप्रस्तुतवैज्ञानिकपत्र(2017-18)

सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार (2017-18)

विभाग के संकाय सदस्यों में से अधिकांश मैसूर विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक भी हैं। विभाग वाक्‍- भाषा दोष के क्षेत्र में डॉक्टरेट अनुसंधान की अधिकतम संख्या का मार्गदर्शन करता है। वे उनके काम के दौरान अनुसंधान के प्रति एक योग्यता के साथ छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं।

छात्र अनुसंधान निर्देशित (2017-18)

विभाग में उपलब्ध अनुसंधान और आधारित संरचना

I. उपकरणउपलब्धता

i)पोर्टेबल

•एम्बुलेटरीफोनेशनमॉनिटर (ए पी एम 3200)

•आर्टिफीसियललैरिंक्स

•डिलेडऑडिटरीफीडबैक (डी ए एफ –1000)

•फैसिलिटेटर (3500)

•फ्लेक्सिबलइंडोस्कोपिकइवैल्यूएशनऑफ़स्वल्लोविंग (एफईईएस)

•एफऑ-इंडिकेटर

•आयोवाओरलपरफॉरमेंसइंस्ट्रूमेंट (आईओपीआई)

•पीजी -20 सबग्लोटालएक्सट्रपलेशनसिस्टम

•एस -इंडिकेटर

•वाइटलस्टीमप्लस

ii) गैर-पोर्टेबल

• 16 चैनलवायरलेसएलेक्ट्रोमोग्राफी

•एरोविएव

•अर्टिकलोग्राफ एजी501

•अर्टिकलोग्राफ एजी 500

•कंप्यूटराइज्डस्पीचलैब

•डिजिटलअक्सेलरोमेट्रीफॉरस्वल्लोविंगइमेजिंग (डीएएसआई)

• डिजिटलस्वल्लोविंगवर्कस्टेशन

•हाईरेसोलुशनमेनोमेट्री

•नेसोमीटर - 6450

•न्यूरो MEP एवोकेडपोटेंशियलरिकॉर्डिंगसिस्टम•फोनटोरीएयरोडायनामिकसिस्टम

•एसएमआईआई -ट्रैकिंग

•स्पाईमीटर – 702

•टोबी पीजीआईजो

•वेवस्पीचरिसर्चसिस्टम

3.) सॉफ्टवेयर उपलब्ध

•मोटरस्पीचप्रोफाइल (एमएसपी) (5141)

•मल्टीडाईमेंशनल वॉयस (एमडीवीपी) (5105)

•वॉयसरेंजप्रोफाइल (वीआरपी)

•एलेक्ट्रॉलोटोग्राफ (ईजीजी)

•एप्लाइडस्पीचसाइंसडिसअर्थरिअस (5153)

•सिमुलेशनऑफ़रेस्पिरेशन , लोनेशनप्रोसोड़ी (5152)

•स्पीचअर्टिकुलतिओं : एनीमेशनऑफ़मुस्कलेवेक्टर्स (5154)

•एप्लाइडस्पीचसाइंसफॉरवॉयसएंडरेजोनेंसडिसऑर्डर्स (5156)

•न्यूरोसाइंसफॉरह्यूमनकम्युनिकेशन (5155)

•नेसालिट विजुअलाइजेशन (एनवीएस)

•नेसलव्यू

•लिंगवेव्स

•सोर्ड (वर्जन40000)

• लेक्सिकन (वर्जन30000)

•रियेक्ट - 2

•वॉक्सगेम्स (30500)

•इ –प्राइम

**विभाग में उपलब्ध सुविधाएं**

विभाग ने निगलने वाले विकृति (डिसफेजिया) व्यक्तियों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए निगलने वाले विकृति की प्रयोगशाला शुरू की है। यह प्रयोगशाला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें ईएनटी डॉक्टरों, स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और नर्सों की एक टीम शामिल है, जो अपने सेवार्थीयोंके लिए एक व्यापक पुनर्वास सेवाओं के लिए है। प्रयोगशाला में स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी के छात्रों के लिए कई श्रव्य-दृश्य सीखने की सामग्री भी हैं।

**संपर्क करें**

डॉ. जयश्री सी. शानबालएसोसिएट प्रोफेसरऔर विभागाध्यक्ष – लैंग्वेज पैथोलॉजी,स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी विभाग अखिल भारतीय भाषण एवं श्रवण संस्थान मानसागंगोत्रीमैसूर - 570 006 कर्नाटक राज्य भारतटेलीफोन: 2502270ईमेल: jshanbal@aiishmysore.in फैक्स: 91-0821-2510515

ग्राम: स्पीचहियरिंग

कार्यसमय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**संप्रेषण विकृत्ति रोकथाम विभाग**

संप्रेषण विकृत्ति रोकथाम विभाग (पीओसीडी) एक आउटरीच विभाग है जिसे वर्ष 2008 में अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान, मैसूर के परिसर में लोगों तक सीधे पहुंचा जा सकेऔर विभिन्न संचार विकारोंकी रोकथाम की सुविधा प्रदान की जा सके के एक मुख्य उद्देश्य के साथशुरू किया गया था। विभाग प्रमुख रूप से संचार विकारों वाले व्यक्तियों केरोकथाम, प्रारंभिक पहचान और प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित है।

**विभाग के उद्देश्य**

प्राथमिक रोकथाम - विभिन्न लक्षित समूहों के बीच संचार विकारों के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए संवेदीकरण / अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को शिक्षित करना।

द्वित्तियक रोकथाम - विभिन्न परीक्षण और नैदानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संचार विकारों की प्रारंभिक पहचान और मूल्यांकन।

तृतीयक रोकथाम - संचार विकारों का प्रारंभिक पुनर्वास और प्रबंधन।

मानव संसाधन विकास -संचार विकारों कायूजी और पीजी छात्रों के आउटरीच नैदानिक प्रशिक्षण,रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास।

**आधारिक संरचना**

विभाग रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और संचार विकारों के पुनर्वास के मामले में कुशल और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक परीक्षण और नैदानिक उपकरण, मूल्यांकन उपकरण और चिकित्सा सामग्री से सुसज्जित है। विभाग विभिन्न पोर्टेबल ऑडियोलॉजिकल उपकरणोंजैसे बाल चिकित्सा ऑडीओमीटर, ओएई स्क्रूनर, टाइम्पेनोमीटर और एबीओपी उपकरण से सुसज्जित हैं।इन उपकरणों और औजारों का उपयोग विभिन्न परीक्षण और नैदानिक गतिविधियों जैसे कि नए जमाने की परीक्षण, स्कूल परीक्षण,औद्योगिक परीक्षण, वृद्धावस्था के घर के दौरे आदि के लिए किया जाता है।

संचार विकारों की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास के प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आईश के साथ-साथ विस्तार केंद्रों (राज्यों और ग्रामीण क्षेत्रों में) में गतिविधियां प्रमुख रूप से केंद्रित हैं।

**1. प्राथमिक रोकथाम - सार्वजनिक शिक्षा**

विभाग की प्रमुख गतिविधियों में से श्रवण, वाक् और भाषा विकारों को शामिल करते हुए संचार विकारों के बारे में बड़े पैमाने पर समुदाय को सुविधा और शिक्षित करना है। जोर जनता, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, माता-पिता, शिक्षकों और अन्य लोगों को विभिन्न संचार विकारों के शुरुआती संकेत और लक्षणोंके बारे में शिक्षित करना, उनमें विकारों की शुरुआती पहचान या जोखिम कारकों को इन विकारों की पहचान करने के लिए कौशल विकसित करना है। इन सभी गतिविधियों को विकार की घटना को प्रति सेप्ट या विकार के प्रभाव को रोकने या इसकी प्रगति और विकास को आगे के चरणों में रोकने की दिशा में सक्षम किया जाता है। संचार विकारों की रोकथाम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, आम जनता और विभिन्न लक्षित समूहों को शिक्षित करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

सार्वजनिक शिक्षा सामग्री

स्ट्रीट प्ले

अभिविन्यास कार्यक्रम

शिविर

रैली

मीडिया ( टीवी, रेडियो, समाचार पत्र)

 **साधन**

**लक्षित समुह**

 चिकित्सा अधिकारी/नर्स

स्वास्थ्य कर्मचारी/ एमएसडब्ल्यू

शिक्षक/छात्र

आंगनवाडी/आशा कर्मचारी/वीआरडब्ल्यू/एमआर डब्ल्यू

औधोगिक कर्मचारी

सामान्य जनता

**स्ट्रीट प्ले वीडियो**

इन संवादात्मक कार्यक्रमों के दौरान, समूहों को रोकथाम, संचार विकारों को रोकने के लिए स्वस्थ रहने के तरीके, प्रमुखों संकेतों की पहचान और संचार विकारों के लक्षणों के बारे में सामग्री और दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं। प्रिंट और अन्य रूपों (अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यक्रम, सार्वजनिक व्याख्यान, विभिन्न लक्षित समूहों के लिए व्याख्यान आदि) में शिक्षाप्रद सामग्री इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है।

**2. नैदानिक सेवाएँ**

द्वितीयक रोकथाम - संचार विकारों के लिए जोखिम पर पहचान

नवजात संचार परीक्षण: यह शिशुओं को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। सभी नवजात / शिशुओं को 1 महीने की आयु के भीतर संचार परीक्षण से गुजरना चाहिए, ताकि जोखिम होने पर शीघ्र पहचान और पुनर्वास प्रदान किया जा सके, और बेहतर संचार कौशल की सुविधा प्रदान की जा सके। नवजात / शिशु परीक्षणमैसूर में 19 अस्पताल, 6 आउट-रीच सेवा केंद्र (अक्कीहेबालु, हुल्लाहल्ली, के.आर. नगर, संतोषमल्ली, सागर और टी. नरसीपुरा) और 12 एनबीएस केंद्र (अजमेर, भागलपुर, कटक, इंफाल, जबलपुर, लखनऊ, पुदुचेरी, रांची, सरगुरु, शिमला, दिल्ली और मुंबई) की जाती है।

स्कूली बच्चों के लिए संचार परीक्षण: नवजात शिशुओं के अलावा, विभाग विभिन्न बच्चों जैसे कि पूर्वस्कूली, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पर भी ध्यान केंद्रित करता है ताकि विशिष्ट संचार विकास की निगरानी की जा सके और बच्चों में संचार विकारों की घटना को भी रोका जा सके। स्कूली बच्चों को किसी भी जन्मजात या अधिग्रहित श्रवण दोष और विकासात्मक या अधिग्रहीत वाक् और भाषा संबंधी विकारों, पढ़ने और लिखने के विकारों (सीखने की विकलांगता) और विकासात्मक अवधि के दौरान ध्वन्यात्मक कौशल के लिए जांच की जाती है।

औद्योगिक श्रमिकों की सुनवाई परीक्षण: सुनवाई के लिए संभावित शोर प्रेरित खतरों वाले उद्योगों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों की परीक्षणनियमित रूप से की जाती है। इस दिशा में कार्यक्रम शोर प्रेरित श्रवण हानि की उपस्थिति के लिए कर्मचारियों की सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आम तौर पर अभिविन्यास और संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से सुनवाई पर शोर के दुष्प्रभावों के बारे में, विभिन्न प्रकार के कान सुरक्षात्मक उपकरणों के उपयोग के माध्यम से कानों के श्रवण और कान के बचाव के संरक्षण के लिए सुझाव देकरशिक्षित करना शामिल है। शोर प्रेरित सुनवाई हानि के लिए जोखिम पर हर कर्मचारी के नैदानिक मूल्यांकन या शोर के संपर्क में आने के कारण विकसित सुनवाई हानि के लिए संस्थान में जब भी आवश्यकता होती है,किया जाता है।

बुजुर्ग नागरिकों की परीक्षण: बुजुर्ग व्यक्तों में उम्र बढ़ने या किसी अन्य अवस्था जैसे स्ट्रोक (सीवीए), अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग आदि के कारण उनकी श्रवण, अनुभूति, वाक् और भाषा क्षमताओं में धीरे-धीरे गिरावट देखा जा सकता हैं। यह कार्यक्रम बुजुर्ग व्यक्तियों को बेहतर सुनने और संवाद करने में मदद करता हैं। विभिन्न वृद्धाश्रमों, समाजों, क्लबों आदि की पहचान की जाती है और नैदानिक सेवाओं जैसे संचार विकारों की पहचान, वाक् और भाषा चिकित्सा के माध्यम से पुनर्वास, मुक्त शरीर स्तर श्रवण यंत्रों का मार्गदर्शन और वितरण सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अनुवर्ती कार्यक्रम: हालांकि संचार विकारों के जोखिम की पहचान करने के लिए विभिन्न परीक्षण कार्यक्रम सक्रिय रूप से किए गए, यह वास्तविक निदान के बिना अधूरा है और यह हमारे उद्देश्यों के प्रयोजन की पूर्ति नहीं करता है। इसलिए, स्क्रीनिंग परीक्षणों के माध्यम से संचार विकारों के जोखिम के रूप में पहचाने जाने वाले सभी व्यक्तियों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए आईश के लिए भेजा जाता है। उपयुक्त प्रबंधन रणनीतियाँशुरुआती पुनर्वास के लिए भी सिफारिश की जाती है।

संचार विकारों की पहचान पर शिविर: संचार विकारों वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक और देश के अन्य राज्यों के भीतर विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जाते हैं। शिविर स्थल एनजीओ और राज्य और / या जिला सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित किसी भी संगठन से अपेक्षित पर आधारित है।

आउटरीच सेवा केंद्र (ओएससी): नैदानिक गतिविधियाँ केवल मैसूर में और उसके आसपास ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन ग्रामीण क्षेत्रों तक भी सीमित हैं जहाँ संचार विकारों वाले व्यक्तियों के लिए नैदानिक सेवाओं की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान की सेवाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से 04 ओएससीएस की शुरुआत की गई। ओएससीएससंचार विकारों वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षण, चिकित्सा और चिकित्सीय सेवाओं के लिए तालुक स्तर / पीएचसीएस /सीएचसीएसमें एक अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेवाओं में वाक् और भाषा मूल्यांकन, श्रवणविज्ञान मूल्यांकन, ईएनटी मूल्यांकन, वाक्-भाषा चिकित्सा, मुक्त शरीर स्तर सुनवाई यंत्र और कान मोल्ड कोजारी करना विभाग के सभी परीक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| मैसूरू जिला | मान्डया जिला | चमराजनगर जिला | शिमोगा जिला |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रहुल्लाहल्लीनंजनगुडतालुक मैसूरू - 571314 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रअक्कीहेववल्लूके. आर. पेटतालुक मन्डया - 571429 | करूणा ट्रस्टगुम्वल्ली येलनडुर तालुक,चमराजनगर– 571 313 | उपखंड अस्पतालसागर तालुक, सागर – 577 401शिवमोगा |
| ओपीडी दिन प्रत्येक मंगलवार | प्रत्येक गुरूवार | प्रत्येक बुधवार | सोम से शनि |
| अन्य सेवाएँसोम से शुक्र | सोम से शुक्र | बुधवार |
| समय –10.30 बजे से 4.30 बजे तक | 11.00 बजे से 3.30 बजे तक | 10.30 बजे से 3.30 बजे तक | 09.00 बजे से 4.30 बजे तक |

तृतीयक रोकथाम -तृतीयक रोकथाम गतिविधियों के संचार विकारों वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास में विकारों के मूल्याकंन और चिकित्सा द्वारा विभिन्न संचार विकारों के साथ व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जहां भी संभव हो, इसके कारण का उन्मूलन करना, व्यक्तिगत सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक स्थितिपरसंचार विकारों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं।किसी व्यक्ति पर निम्नलिखित पुनर्वास सेवाएं आउटरीच सेवा केंद्रों पर प्रदान की जाती हैं।

• ईएनटी संबंधी विकारों के लिए चिकित्सा उपचार• एडीआईपी योजना के तहत मुफ्त सुनवाई यंत्र जारी करना• वाक् और भाषा चिकित्सा

**3. मानव संसाधन विकास**

वाक् और श्रवण के क्षेत्र में अपने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का अनुसरण करने वाले छात्रों को अस्पतालों, स्कूलों, उद्योगों और वृद्धाश्रमों में विभिन्न आयु समूहों में संचार विकारों से संबंधित व्यक्तियों को परीक्षण पर मूल्यांकन और पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अन्य संस्थानों के इंटर्नशिप छात्रों को भी नए जन्मे श्रवण परीक्षण पर प्रशिक्षित किया जाता है।

**4. अनुसंधान**

विभाग की एक विशेष संक्रामक रोग विज्ञान इकाई है। यह इकाई संचार विकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और विभिन्न संचार विकारों पर एक केंद्रीकृत डेटा बैंक स्थापित करने के लिए शुरू की गई है।

प्रकाशन और प्रस्तुतियाँ

वैज्ञानिक अनुसंधान प्रस्तुतियाँ और कार्यवाही – राष्ट्रीयप्रवीण के., स्वप्ना एन., अरुणराज के., देवम्मा वी., मुकेश के., वसंत लक्ष्मी एम. एस. और सावित्री, एस.आर.(2018)।नवजात श्रवण परीक्षण में जोखिम कारकों की महत्वत्ता- एकप्रारंभिक आंकड़े।10 मार्च -11 मार्च 2018 को बीसाकॉन, पटना, बिहारमें प्रस्तुत किया गया।

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं | परियोजना का शीर्षक | अनसंधानकर्ता | निधीयन एजेंसी | पुराकरनेकावर्ष |
| 1 | शिशु के रोने के ध्वनिक विश्लेषण के लिए स्क्रीनिंग टूल का विकास और सत्यापन | डॉ. एन. श्रीदेवी (पीआई)डॉ. जयश्री सी. शानवाल व श्री अरूणराज के. (सीआई) | आईश अनुसंधान निधि (एआरएफ) | 2015-16 |
| 2 | नवजात शिशुओं में डिस्पैगिया का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टूल का विकास और सत्यापन | डॉ. स्वप्ना एन. | आईश अनुसंधान निधि (एआरएफ) | 2018-19 |

**संपर्क करें**

डॉ. एन. स्वप्ना वाक् रोग दोष विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख,संप्रेषण विकृत्ति रोकथाम विभागअखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान,मानसागंगोत्री, मैसूरु - 570 006कर्नाटक राज्य, भारतटेलीफोन: 91-0821-2502-263 / 312 फैक्स: 91-0821-25101515ईमेल: nsn112002@yahoo.com

कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक। कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार (केंद्रीय सरकारी अवकाश को छोड़कर)।

**संप्रेषण विकृत्तियों वाले व्यक्त्तियों के लिए टेली केन्द्र विभाग(टीसीपीडी)**

**उद्देश्य**

टेली-सेंटर का उद्देश्यसूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से संचार विकारों वाले व्यक्तियों को मूल्यांकन और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना हैं।

टेली सेंटर के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं -

संचार विकारों वाले व्यक्तियों के लिए टेली-मूल्यांकन और टेली-हस्तक्षेपन (चिकित्सा, परामर्शन, परामर्श और अभिविन्यास, अभिभावक प्रशिक्षण) प्रदान करना।

अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में संसाधन सामग्री(प्रिंट और ई-मोड में) का विकास।

संचार विकार वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना।

संचार विकार वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना (अधिक विवरण के लिएwww.aiishcredmhelpline.in लॉगिन करें)।

**टेली अभिविन्यासगतिविधियाँ:**

वयस्कों के लिए वाक् पढ़ने का प्रशिक्षण 30.03.2017बच्चों के लिए वाक् पढ़ने की गतिविधियाँ 06.04.2017

**आभासी संगोष्ठी:**

15.03.2017 को संचार विकार के पुनर्वास के लिए ऐप12.07.2017 को वाक् भाषा में टेलीकास्ट के लिए दिशानिर्देश

**सेवाएँ**

वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य आईसीटी प्लेटफार्मों के माध्यम से संचार विकारों वाले व्यक्तियों के लिए टेली-मूल्यांकन और टेली-हस्तक्षेपन (चिकित्सा, परामर्शन, परामर्श, अभिभावक प्रशिक्षण)। टेली सेंटर देश भर के 11 प्रीमियर अस्पतालों से जुड़ा है। इन अस्पतालों में सेवाएं दिए गए लिकं शेड्यूल के अनुसार उपलब्ध हैंhttp://aiishtcpd.com/en/centers.htm.

इसके अलावा, सेवाओं को आईसीटी मोड्स की मदद से सेवार्थियों के दरवाजे तक उपलब्ध कराया जाता है।

11 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रों परसेवार्थियों, देखभाल करने वालों और पेशेवरों के लिए टेली-अभिविन्यास।

टेली-शैक्षिक मार्गदर्शन स्कूल में समस्याओं का सामना करने वाले बच्चों के लिए की जाती है। समस्याओं को पढ़ने में कठिनाई,लिखितसमस्याएं या गणितीय गणना में हो सकता है। पाठ्यक्रम सहयोग सेवा प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच उपलब्ध है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए हमें aiishtelecenter@gmail.com पर मेल करें।

टेली-सेंटर में श्रवण दोष वाले बच्चों के माता-पिता की मदद करने के लिए प्रकाशनों की एक श्रृंखला है। पुस्तकें अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में पांच खंडों में प्रकाशित होती हैं। किताबों में जानकारी है कि कैसे माता-पिता अपने बच्चे के वाक् और भाषा कौशल को घर पर सरल गतिविधियों को पूरा करके विकसित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.aiishtcpd.com पर जाएं।

टेली-सेंटर ने संसाधन पुस्तकों की मल्टीमीडिया सामग्री [एमएमसी] विकसित की है, अभिभावक और बच्चे; इसे और अधिक व्यापक और सुलभ बनाने के लिए अपनी बाल पुस्तक श्रृंखला को प्रशिक्षित करें। पुस्तक में वर्णित गतिविधियों के प्रदर्शन के साथ ऑडियो-वीडियो-पाठ मॉड्यूल निम्नलिखित लिंक http://aiishtcpd.com/en/multimedia.htm में उपलब्ध कराया जाता है।यह मल्टी मीडिया विषय तीन भाषाओं अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी में उपलब्ध है।

पार्किंसंस रोग वाले व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन पार्किंसंस रोग वाले व्यक्तियों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए वेब प्लेटफॉर्म है। सेवार्थी वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं और वेबसाइट के माध्यम से टेली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वेबसाइट का पता www.aiishcredmhelpline.in है।

**संपर्क करें**

डॉ. एस. पी. गोस्वामी प्रोफेसर और प्रमुख – टीसीपीडीअखिल भारतीय भाषण और श्रवण संस्थान मानसागंगोत्री मैसूर - 570 006 कर्नाटक राज्य, भारतटेलीफोन: 0821-2502-532 / 536 ईमेल: telecenteraiish@gmail.com

कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 5:30 बजे तक कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार (केंद्रीय सरकार के अवकाश को छोड़कर)।

**सुविधाएं**

**अ) पुस्तकालय और सूचना केंद्र**

आईशपुस्तकालय और सूचना केंद्र (एलवआईसी)संप्रेषण विकारों के क्षेत्र से संबंधितदेश में श्रेष्ठशिक्षण संसाधन केंद्र हैं।यह दुनिया के सबसे अच्छे वाक् और श्रवण सूचना स्रोतों में से एक सम्पन्न है। एलवआईसीराष्ट्रीय स्तर की सूचना सेवा परियोजनाओं जैसे चिकित्सा में शैक्षिक संसाधन (ईआरएमईडी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली औरविद्वानों की विषयों (एन-लिस्ट)के लिएबुनियादी ढांचे राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना सेवा,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, नई दिल्लीका एक सदस्य है। इसका क्षेत्रीय स्तर के नेटवर्क जैसे मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क के साथ भी साझेदारी है। वर्ष 1965 में स्नातकोत्तर छात्रों और उनके प्रशिक्षकों की सूचना आवश्यकताओं को प्रदानकरने के लिए संस्थान के साथ स्थापित किया गया,आज एल एंड आईसीआईश में और साथ ही देश भर के अन्य संस्थानों मेंसंप्रेषण विकारों और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में डिप्लोमा से लेकर पोस्टडोक्टरर, शिक्षकों और चिकित्सकों तक के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। संप्रेषण विकारों और संबद्ध क्षेत्रों,पारंपरिक और प्रौद्योगिकी आधारित सूचना सेवाएं, आरामदायक, आकर्षक और विशाल सीखने के स्थानपर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों दोनों का उत्कृष्ट संग्रह, पुस्तकालय और सूचना केंद्र की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं।

यह पोर्टल सभीइलेक्ट्रॉनिक सूचना स्रोतों और एल एंड आईसी द्वारा प्रदानसेवाओं तक पहुँचने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह पुस्तकालय के प्रिंट-आधारित सूचना स्रोतों और सेवाओं, कर्मचारी, कार्य समय, नियमों और विनियमों आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं में से, डिजिटल संग्रह जिसमें संस्थान में किए गए अनुसंधान की पूर्ण-पाठ रिपोर्ट है, को वैश्विक स्तर पर पहुँचाया जा सकता है। यद्यपि एन - लिस्टऔर साहित्यिक चोरी जाँच सेवाएँ संस्थान के बाहर से भी पहुँच योग्य हो सकती हैं, फिर भीउपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड द्वारा संस्थान के उपयोगकर्ता समुदाय तक पहुँच प्रतिबंधित है। ईआरएमईडी, सब्सक्राइब्ड ई-जर्नल्स और ई-बुक्स, डिजिटाइज्ड क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, पुस्तक सीडी-रोम सर्विस आदि जैसी शेष सेवाएं केवल परिसर के अंदर ही उपलब्ध हो सकती हैं।

पुस्तकालय वेब पोर्टल तक पहुंच निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है।[www.aiish.ac.in](http://www.aiish.ac.in)

**आ) गेस्ट हाउस**

संस्थान में दो गेस्ट हाउस, अशोका इंटरनेशनल गेस्ट हाउस (आईजीएच) और आईशगेस्ट हाउस हैं। दोनों गेस्ट हाउस मुख्य रूप से संस्थान के आधिकारिक मेहमानों के लिए हैं। हालांकि, उन्हें निजी उद्देश्यों के लिए भी बुक किया जा सकता है। ऐसी बुकिंग अनंतिम होगी और आवेदक / आगंतुक को पूर्व सूचना के साथ किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि संस्थान को अपने उपयोग के लिए कमरे की आवश्यकता हो।

**आ) 1. अशोका इंटरनेशनल गेस्ट हाउस**

अशोका इंटरनेशनल गेस्ट हाउस (आईजीएच) संस्थान के पंचवटी परिसर में स्थित है। इसमें 15 डबल - बेड ए/सी कमरें हैं।

आवंटन के लिए योग्य व्यक्ति -

आईजीएच आवास के आवेदन करने के लिएव्यक्तियों कीनिम्नलिखित श्रेणियां योग्य हैं।

• आईशकर्मचारी और छात्र (आधिकारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए)

•आईश में ड्यूटी पर अधिकारी

• राज्य / केंद्र सरकार के कर्मचारी में सेवा(अपने निजी / आधिकारिक निवास के लिए) --

• प्रवेश परीक्षा / साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार व आईश में सेमिनारों के प्रतिभागी

• अन्य शैक्षणिक संस्थान और स्वैच्छिक संगठन (उनके अधिकारियों के लिए)

**आ) 2.आईश गेस्ट हाउस**

आईशगेस्ट हाउस संस्थान के मुख्य परिसर (नैमिषम) में स्थित है। इसमें 8 डबल बेड ए / सी और गैर ए / सी कमरें हैं।

आवंटन के लिए योग्य व्यक्ति -

आईश गेस्ट हाउस के आवास के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्तियों की निम्न श्रेणियां हैं।

• आईश कर्मचारी और छात्र (आधिकारिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए)

• आईश में ड्यूटी पर अधिकारी

• आईश के पूर्व छात्र / सेवानिवृत्त कर्मचारी (स्वयं के ठहरने के लिए)

एनबी: अन्य राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियोंको उनके आधिकारिक (आईश के अलावा) और व्यक्तिगत यात्राओं पर कर्मचारियों से हमारे अशोका इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में आवास के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया जाता है।

**इ. छात्रावास**

प्रवेशित उम्मीदवारों को महिलाओं और पुरूषों के लिए अलग-अलग छात्रावासों में आवास प्रदान किए जाएंगे। आवास एकल, डबल या तीन कमरों के रूप में है जो सुसज्जित हैं। हालांकि, छात्रों से अपने स्वयं के बिस्तर और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं को लाने काअनुरोधकिया जाता है। स्थानीय छात्रों को केवल कमरे उपलब्ध होने पर आवास प्रदान किया जाएगा।

**छात्रावास का प्रभार**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| विवरण | डिप्लोमा/स्नातक/ पीजी डिप्लोमा | स्नात्कोत्तर/जेआरएफ |
| प्रवेश शुल्क | 60.00 | 60.00 |
| जमानत राशि(प्रतिदेय) | 1250.00 | 2500.00 |
| कमरा भाड़ाप्रति वर्ष | 1025.00 | 1025.00 |
| मूल्यहास खर्च | 50.00 | 50.00 |
| सफाई खर्च | 125.00 | 125.00 |
| स्थापना खर्च (प्रति वर्ष) | 1875.00 | 1872.00 |
| भोजनकक्ष अग्रिम महिला छात्रावास (प्रतिदेय) | 3500.00 | 3500.00 |
| भोजनकक्ष अग्रिम पुरूष छात्रावास (प्रतिदेय) | 4375.00 | 4375.00 |
| महिला छात्रावास | 7885.00 | 9135.00 |
| पुरूष छात्रावास | 8760.00 | 10010.00 |
| विभाजन प्रणाली पर बिजली और भोजन खर्च महानें के रूप में अलग |

नोट: सभी भुगतान केवल भारतीय रुपए मेंहो।

छात्रावासों में रहने वालों को अनिवार्य रूप से उस भोजन कक्ष में शामिल होना हैं जो एक साझा आधार पर चलती है। निदेशक द्वारा नामांकितछात्रावास अधीक्षक और वार्डन छात्रावासों में सामान्य पर्यवेक्षण का उपयोग करेंगे। छात्रावास के सहवासियों को छात्रावास के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

**संपर्क करें**

**कपिला महिलाछात्रावास**

डॉ. एन. देवीवार्डन और एसोसिएट प्रोफ़ेसर, श्रवणविज्ञान विभागदूरभाष (एक्स्ट): 2359ई-मेल: deviaiish@gmail.com

श्रीमती रिषा ओ.ए.असिस्टेंट वार्डन एंड रिसर्च स्कॉलर, श्रवणविज्ञान विभागदूरभाष (एक्स्ट): 2359ई-मेल: reesha.oooov@gmail.com

**बोधि पुरूषछात्रावास**

डॉ. आलोक कुमार उपाध्याय वार्डनऔर एसोसिएट प्रोफ़ेसर, विशेष शिक्षाविभागदूरभाष (एक्स्ट): 2568ई-मेल: alokupadhyayaiish@gmail.com

शनमुक गंगुलाअधीक्षक (छात्रावास)दूरभाष (एक्स्ट): 2462ई-मेल: shanmukaiish@gmail.com

**ई. कुटीरा**

**संरचना**

आईश कुटीरा परिसर के भीतर एक अलग इमारत में स्थित है। यह मकानबारह डबल कमरें और दो शयनशाला वाला हैं। प्रत्येक डबल कमरें में दो खाट (बेडेड खाट), एक कुर्सी और एक टेबल, पंखा और ट्यूब लाइट, कपड़े की हैंगर की सुविधा है।

**प्रवेश का अधिकार**

आईश कुटीरा में रहने वालों के लिए प्रवेश के अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं। दखल और आबंटन में वरीयता उन सेवार्थियों को दी जाती है, जो आईश में चिकित्सा सेवाओं,आईश में जाने वाले छात्रों,आईश द्वारा आयोजितकार्यशालाओं,सेमिनारों के प्रतिभागीका कामआते हैं।बिना कोई कारण बताए किसी या सभी व्यक्तियों को सुविधा के आवंटन की अनुमति देने या वापस लेने का अधिकार निदेशक के पास है।

**कर्मचारी**

जबकि आईश कुटीरा के समग्र कामकाज का समन्वय श्री मल्लिकार्जुन, सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है।

नोट: श्री मल्लिकार्जुन, सुरक्षा अधिकारी, से संरचना, दर सूची और नियमों एवं शर्तों सहित कुटीरा में आवास से संबंधित अन्य विवरणों के लिए संपर्क किया जा सकता है।

**दर सूची**

एक दिन के रूप में गिने जाने वाले 24 घंटे चक्र पर रहने वालों के लिए प्रचलित दर सूचीनिम्नलिखित है। प्रत्येक रात ठहरने को एक दिन के लिएदर सूचीसंग्रह के बराबर गणना कियाजाता है। हालांकि, एक दिन के दौरान भी रहने के 12 घंटे से अधिक समय को भी एक दिन के रूप में माना जाता है और उसके बाद शुल्क लिया जाता है।

संस्थान के गैर-आधिकारिक आगंतुकों के लिए

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र. सं. | कमरे का प्रकार | बिस्तर के लिए भाड़ा प्रति दिन |
| 1 | एकल कमरा | 50 /- रूपया बिस्तर |
| 2 | शयनशाला | 25 /- रूपया बिस्तर |

कुटीरा में कमरों के आवंटन से पहले गणना किए गए दर सूचीको संस्थान के लेखा के उपयुक्त प्रमुखों सेअग्रिम रूप से रसीद एकत्र किया जाता है। आगंतुकों को छुट्टियों पर समायोजित किए जाने के मामले में, अग्रिम रूप से एकत्रउक्त राशि कोप्रभारी और / या सहायक द्वारा अगले कार्य दिवस पर संस्थान के सामान्य नकद अनुभाग में जमा करने से पहले रखा जाता है। किसी भी परिस्थिति में दर सूची की प्रचलित दरों में कोई रियायत या छूट की अनुमति नहीं है।

प्राप्त भुगतान रद्द और धनवापसी करने कोआम तौर परनामंजूर कर दिया जाता है। हालाँकि, वास्तविक मामलों में, और अतिथि से लिखित अनुरोध के बाद, प्रभारी और / या सहायक,धनवापसी के इस तरह के दावों के अंतिम अनुमोदन के लिए निदेशक, आईशको आवेदन को अग्रेषित कर सकते हैं।निदेशक के पास प्रभारी, और / या सहायक से अनुशंसा के बावजूद या उसके बिना कोई कारण बताए, अनुमोदन, अस्वीकार, भाग में या पूर्ण अनुमति केअधिकार सुरक्षित है।

**नियम और शर्तें**

• डबल कमरें में, केवल दो वयस्क और एक बच्चा रह सकता है

• खाना पकाने की अनुमति नहीं है

• आवास केवल 15 दिनों के लिए दिया जाएगा

अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्य समय

(सुबह 9-5.30 बजे) के दौरान संपर्क करें

श्री मल्लिकार्जुन, सुरक्षा अधिकारी, दूरभाष: 0821- 250135

**उ. केन्टीन**

अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान केकर्मचारियों और छात्रों के लिए एक पूर्ण खानपान कैंटीन प्राप्त हुई है। इसमें सुख - सुविधाओं के साथ एक आधुनिक रसोईघर है और भोजनसुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक परोसा जाता है। यहां शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है।

**संपर्क करें**

श्रीमती. आर. शांती,उच्च श्रेणी लिपिकविभागीय कैंटीन समिति के अध्यक्षदूरभाष: 0821- 2502138

**विस्तार कार्यक्रम**

**अ. शिविर**

अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान,मानसगंगोत्री, मैसूर - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत सरकारके तत्वावधान में एक प्रमुख संस्थान, प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए नैदानिक सेवाएं प्रदान करना भी गैर-सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों को ऐसे संगठनों के अनुरोध पर विभिन्न स्थानों पर ऐसे विकलांग व्यक्तियों के लिए शिविरों केसंचालन / आयोजन में कल्याणकारी गतिविधियों के एक भाग के रूप में सहायता कर रहा है। संस्थान नैदानिक सेवाओं के लिए उपकरणों के साथ-साथ पेशेवरों / तकनीशियनों की एक टीम को नियुक्त करके और आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने के साथ-साथ जरूरतमंद व्यक्तियों को मुफ्त में / भुगतान करने के लिए ऐसी कल्याणकारी गतिविधियों में शामिल होने में आनंद लेता है।

टीम शिविरों के दौरान निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगी:

परीक्षण / रोग निदान परामर्शन

उचित दवाओं का निर्धारण

श्रवण यंत्रों का वितरण

सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने / दावा करने के लिए श्रवण बाधित और मानसिक मंद व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करना।

कनछाप लेना

शिविरों का आयोजन कैसे करें?

आईश की सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक कल्याणकारी संगठन ई-मेल, पतेसे सज्जितपत्रके माध्यम से निदेशक आईश कोपत्र लिख सकते हैं। हालांकि, संगठनों को शिविरों के संचालन के लिए आईश द्वारा प्रतिनियुक्त कार्मिकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी पड़ सकती हैं।

प्रतिनियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को दोनों तरफवाहन देना (लगभग 15 से 20 कर्मचारियों सदस्यों को)।

स्थानीय आतिथ्य जैसे पेशेवरों और तकनीशियनों के स्तर के लिए उपयुक्त आवास और भोजन।

4 नम्बरों के परीक्षण के लिए पॉवर पॉइंट के साथ बिना कोई शोरगुल के शांत कमरें।

4 नम्बरों के मूल्यांकन के लिए टेबल और कुर्सियों के साथ कमरें।

आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक।

**आ. सुनवाई संरक्षण कार्यक्रम**

सभी के लिए स्वास्थ्य भारत सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसमें श्रवणदोष की रोकथाम भी शामिल है। श्रवण वाक् और भाषा के विकास, संप्रेषण, शिक्षा और नौकरी के स्थानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, श्रवण दोष की रोकथाम आवश्यक हो जाती है जो तीन स्तरों पर की जा सकती है: प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक।

प्राथमिक रोकथाम:

श्रवण दोष की प्राथमिक रोकथाम समस्या की शुरुआत और विकास का विलोपन या निषेध है। कई गतिविधियाँ श्रवण दोष की प्राथमिक रोकथाम के लिए आयोजित की जाती हैं। यह एक समस्या की घटना को रोकने के उद्देश्य से श्रवण दोष के विभिन्न कारणों पर आम जनता को शिक्षित करने के लिए किया जा रहा है।लक्ष्य समूह जो इस तरह की सेवा प्रदान करने वाले में चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवर (बाल रोग विशेषज्ञ, ईएनटी डॉक्टर, पारिवारिक चिकित्सक, पीएचसी डॉक्टर, स्नातकोत्तर मेडिकल छात्र, नर्स, एएनएम और सीबीआर कार्यकर्ताओं), स्कूलों के प्रमुख, स्कूल शिक्षक, सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता , आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न परोपकारी संगठनेंशामिल हैं। इन अंतःक्रियात्मक कार्यक्रमों के दौरान समूहों को श्रवण बाधित व्यक्तियों की रोकथाम, पहचान और प्रबंधन पर दिशा-निर्देश मिलते हैं। उन्हें श्रवण दोष की रोकथाम के संबंध में पर्चा, पुस्तिकाएँ और पोस्टर भी दिए जाते हैं। ये अभिविन्यास कार्यक्रम कान की देखभालऔर सुनवाई संरक्षण को बढ़ावा देते हैं।प्राथमिक रोकथाम के लिए खर्च की गई लागत श्रवण दोष की घटना के बाद किसी व्यक्ति के पुनर्वास की तुलना में बहुत कम है।

द्वित्तियक रोकथाम:

द्वित्तियक रोकथाम में श्रवण की समस्याओं वाले आशांकित व्यक्तियों की पहचान करने के लिए परीक्षण शामिल है। यह व्यक्ति को जल्दी निदान और पुनर्वास करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है। विभिन्न लक्ष्यसमूहों की परीक्षण नियमित रूप से की जाती है।परीक्षण विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जाती है जिसमें श्रवणविज्ञानी और ईएनटी विशेषज्ञ शामिल होते हैं।लक्ष्य जनसंख्या में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं। अस्पताल में बच्चों, स्कूली बच्चों, औद्योगिक श्रमिकों और वरिष्ठ नागरिकों के नवजात शिशुओं की परीक्षण एक नियमित गतिविधि के रूप में की जाती है। नवजात श्रवण परीक्षण कार्यक्रम श्रवण दोष वाले बच्चों को जल्द से जल्द पहचानने की कोशिश के उद्देश्य से किया जाता है। वाक् और भाषा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उम्र है। जीवन में बाद के स्तर पर पहचाने जाने वालों को वाक् के माध्यम से प्रभावी ढंग से संवाद करने में मुश्किल होती है। उन्हें उन लोगों की तुलना में अधिक गहन और लंबी अवधि की चिकित्सा की आवश्यकता होती जो पहले की उम्र में पहचाने जाते हैं।

किसी भी अधिग्रहित या देर से शुरू होने वाले श्रवण हानि की उपस्थिति का पता लगाने के लिए स्कूली बच्चों की जांच की जाती है। इन बच्चों की प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास उनके द्वारा अर्जित वाक् की गिरावट को रोकता है। यह उन्हें शिक्षा में सफलता प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। यह कार्यक्रम शिक्षाविभाग के समन्वय में संचालित किया जा रहा है।

शोर प्रेरित श्रवण हानि श्रवण हानि के रोके जाने के योग्य कारणों में से एक है। इसलिए, श्रवण संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, औद्योगिक नियोक्ताओं और कर्मचारियों को न केवल सुनवाई पर, बल्कि सामान्य और मानसिक स्वास्थ्य पर, कार्यशालाओं और अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से शोर के दुष्प्रभाव के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। अनुवर्ती मूल्यांकन शोर के प्रभावों की निगरानी के लिए बाद में किया जाता है। दिए गए अभिविन्यास कार्यक्रमों के कारण, कर्मचारियों ने कान सुरक्षात्मक उपकरणों का अधिक गंभीरता से उपयोग किया है।

बढ़ती उम्र के साथ, शरीर में अन्य प्रणालियों के साथ, श्रवण प्रणाली भी अपनी संरचना और कार्य में विशेष रूप से वाक् को समझने में गिरावट से गुजरती है।चूंकि कई वरिष्ठ नागरिक अब सक्रिय जीवन जी रहे हैं, उन्हें सुनवाई सहायता की आवश्यकता होती है। उनमें से कई को प्रणालीगत बीमारियां हो सकती हैं जो श्रवण की अधिक समस्याओं के कारण हो सकती हैं। इस तरह के संवेदी कमी को एक उपयुक्तश्रवण यंत्र से दूर किया जा सकता है। इसके साथ वे न केवल दूसरों को सुन सकते हैं, बल्कि खुद को भी सुन सकते हैं जो उनके वाक् में गिरावट को रोकता है।

तृतीयक रोकथाम:

तृतीयक रोकथाम, जोश्रवण दोष के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों का पुनर्वास शामिल है, व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता हैं। छोटे बच्चों में उनके लिए वाक् और भाषा प्राप्त करना आवश्यक होता है। प्रारंभिक पहचान और पुनर्वास की आवश्यकता उन श्रवण बाधित व्यक्तियों में भी होती है जिन्होंने पहले ही वाक् प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उनके वाक्की निगरानी के लिए श्रवण आवश्यक है।श्रवण दोष एक व्यक्ति की शिक्षा और नौकरी के स्थान को भी प्रभावित करेगी। इसलिए, इन प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए, द्वितीयक रोकथाम, समस्या की तृतीयक रोकथाम के बाद किया गया है। श्रवण दोष होने का निदान करने वाले व्यक्तियों को या तो उपचार की एक चिकित्सा / सर्जिकल लाइन या ऑडियोलॉजिकल प्रबंधन प्रदान किया जाता है।ऑडियोलॉजिकल प्रबंधन में उपकरणों को प्रदान या निर्धारित करना शामिल है जो उन्हें बेहतर सुनने में सक्षम करेगा। भारत सरकार की सहाय और साधित्र योजना के तहत श्रवण यंत्र निशुल्क वितरित किए जाते हैं जो योग्य हैं। यह केवल श्रवण यंत्र ही नहीं है, जो श्रवण की विशिष्ट आवश्यकताओं को दूर कर सकता है, श्रवण बाधित,सहायक श्रवण यंत्र (एएलडीएस) जैसे कि टीवी श्रवण प्रणाली, टेलीफोन एम्पलीफायर, अनोखें समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत मामलों में भी निर्धारित किया जाता हैं। उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे श्रवण यंत्रों को समय-समय पर शूटिंग में परेशानी,मरम्मत आदि के लिए लाया जाता है। जिन व्यक्तियों जिनकों श्रवण कौशल में आगे के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें वही प्रदान किया जाता हैं।

इन श्रवणसंरक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव यह है कि बड़ी संख्या में व्यक्ति कम उम्र में मदद मांग रहे हैं। इस कार्यक्रम ने व्यक्तियों की मामूली समस्याओं का और एकतरफा श्रवणहानि के साथपता लगानेमें सक्षम किया है।

**संपर्क करें**

कीर्तिलोक सूचना अधिकारीआईश, मैसूर 570 006फ़ोन (O): - विस्तार: 113 मोबाइल: 9844484979

कार्य समय: सुबह 09:00 से शाम 05:30 तक भारताय मानक समय कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार

**इ.राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)**

संस्थान का लक्ष्य अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास से है। एनएसएस एक गतिविधि है जो प्रक्रिया में मदद करती है। संस्थान अपने छात्रों में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) में शामिल होने के माध्यम से युवा ऊर्जा और क्षमता को आत्मसात् करने की कोशिश करता है। संस्थान में एनएसएसका उद्देश्य युवाओं को सार्थक गतिविधियों में शामिल करना है जो अंततः उन्हें समाज के साथ कुशलता से एकीकृत करने में मदद करता है।

**ई. आईश जिमखाना**

आईश जिमखाना संस्थान के सभी कर्मचारियों और छात्रों का एक संगठन है। जिमखाना **जिमखाना**के सदस्यों के लिए मनोरंजन, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता के लिए एक मंच भी है। यह खेल, कला, सांस्कृतिक और साहित्य को बढ़ावा, प्रोत्साहित, बनाए रखने और समन्वय भी करेगा।

आईश ने खेल और मनोरंजन के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं विकसित की हैं। पंचवटी परिसर में एक खेल परिसर है जिसमें शटल बैडमिंटन और टेबल टेनिस की सुविधाएं हैं। अत्याधुनिक उपकरणों और एक पुस्तकालय के साथ एक आधुनिक व्यायामशाला है। एक सुंदर और अनोखा ओपन-एयर थियेटर भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। अत्याधुनिक ऑडियो विजुअल सिस्टम के साथ 400 की बैठने की क्षमता वाला एक सभागार है।

**उ. आईश एलुमनी एसोसिएशन**

चूंकि आज तक कोई आईश एलुमनी एसोसिएशन नहीं था, निदेशक, आईश के साथ कामकरने वाली टीमआईश में(डॉ. एम. पुष्पवती, संयोजक के रूप में) ने 25 जनवरी 2010 को प्रथमआईशएलुमनी मीटिंग की। इस बैठक में 144 पूर्व छात्रों का 2009 के हाल के बैचों से 1966 का 1 बैच तक के छात्रों ने प्रतिनिधित्व किया गया। वे भारतीय और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके से आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिकासे सात पूर्व छात्र, यूके और भारत में से एक- एक ने वेब इंटरैक्शन के माध्यम से बातचीत की।

आयोजितशाम 4.00 से 5.00 बजे के बीच आयोजित औपचारिक उद्घाटन के दौरान, डॉ. सी.के.एन. राजा, निदेशक, एनआईई गवर्निंग काउंसिल और श्री.कृष्ण वट्टम,वरिष्ठ पत्रकारने मुख्य अतिथि के रूप में सेवादिया।दोनों ने संस्थान में वर्षों में उनके द्वारा किए गए परिवर्तनों और संस्थान के पूर्व निदेशकों और कर्मचारियों के बारे में याद दिलाया। डॉ. विजयलक्ष्मी बासवराज, निदेशक,आईश, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में पहले पूर्व छात्रों से मिलने के बैठक के उद्देश्यों और आईश एलुमनी एसोसिएशन के मसौदा उपनियम और नियम और विनियमन के बारे में जानकारी दी, जो तैयार किया गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मसौदाअखिल भारतीय वाक्श्रवण संस्थान पूर्व छात्र संघ को पंजीकृत करने के लिए एक तदर्थ समिति स्थापित करने के उपनियम का सुझाव दिया। समिति के संगठन जो सुझाव दिए, वे इस प्रकार है:

अध्यक्ष - आईशके निदेशक (यदि आईश के पूर्व छात्र) / वरिष्ठतम संकाय जो आईश के पूर्व छात्र हैं, यदि निदेशक आईशके पूर्व छात्र नहीं हैं।

सचिव - आईश में काम कर रहे एक पूर्व छात्र

बाहरी सचिव - आईश में काम नहीं करने वाले पूर्व छात्र

कोषाध्यक्ष - आईश सदस्यों में काम करने वाले पूर्व छात्र सदस्य - आईश में काम करने वाले 1 पूर्व छात्र और आईश में काम नहीं करने वाले 4 पूर्व छात्र।

डॉ. विजयलक्ष्मी बसवराज के उपरोक्त सुझावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसलिए, निदेशक ने डॉ. आशा यतिराज को आंतरिक सचिव के संस्थापक और डॉ. एम. पुष्पावती को संस्थापक कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए नामित किया। शेष सदस्य समिति में सेवा करने के लिए स्वयंसेवक हैं।

इस प्रकार, निम्नलिखित सदस्यों के स्वयंसेवक के साथ एक तदर्थ समिति गठित की गई थी, जो उनके सदस्यों के संस्थापक सदस्यों के रूप में उल्लिखित पदों के लिए समिति में सेवा करने के लिए निम्नानुसार है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं |  नाम |  पद |
| 1 | डॉ. एम. पुष्पावतीनिदेशक, आईश, मैसूरू | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ. के. यशोदाप्रोफ़ेसर - वाक् विज्ञान, आईश, मैसूरू | कार्यकारी सचिव |
| 3 | सुश्री. आशा जी.जीनिदेशक और श्रवणविज्ञानीवैभव वाक् और श्रवण केन्द्र, तिरूभूवन टॉवर, देवान रोड़ मैसूरू, कर्नाटक | मानद सचिव |
| 4 | डॉ. टी. जयकुमारअसोसिएट प्रोफ़ेसर – वाक् विज्ञान, आईश, मैसूरू | कोषाध्यक्ष |
| 5 | डॉ. जीजो एम.प्राध्यापक और रीडर – श्रवणविज्ञानजे.एस.एस. वाक् श्रवण संस्थान , धारवाड, कर्नाटक | ईसी सदस्य (आईस में काम नहीं करने वाले) |
| 6 | सुश्री. भाषपा पी.यू.वाक् भाषा रोगनिदानी स्वाना वाक् श्रवण और पोलीक्लिनिकमैसूरू, कर्नाटक | ईसी सदस्य (आईस में काम नहीं करने वाले) |
| 7 | डॉ. बालाजी रंगानाथमपीएचडी, सीसीसी- एसएलपी, असिस्टेंट प्रोफ़ेसरसंप्रषम विज्ञान और विकारईस्ट कैरोलिना विश्वविधालयग्रीनवाईल, नोर्थ कैरोलिना | ईसी सदस्य (आईस में काम नहीं करने वाले) |
| 8 | डॉ. पेब्बिली गोपीकिशोरअसिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाक् रोग दोष विज्ञानआईश, मैसूरू | ईसी सदस्य |
| 9 | सुश्री. दीपा आनंदअनुसंधान सहायक,आईश, मैसूरू | ईसी सदस्य |

**डिप्लोमा इन हियरिंग लैग्वेज एंड स्पीच(डीएचएलएस)**

अखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान (आईश), मैसूर ने सहायक / तकनीशियन स्तर पर जनशक्ति विकास की तेज दर के लक्ष्य के लिए 2007 में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच (डीएचएलएस) कार्यक्रम शुरू किया।दूरी मोड के माध्यम से डीएचएलएस कार्यक्रम, आईश, मैसूर द्वारा शुरू किया गया था, जो जिपमरपुदुचेरी, रिम्स इम्फाल, एपमरमुंबई और एमएएमसी नई दिल्ली से जुड़ रहा है। वर्ष 2008-2009 में, संस्थान ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में; इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर; किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ; राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रांची और श्री रामचंद्र भंज, मेडिकल कॉलेज कटकअध्ययन केंद्रों के रूप में 6 और राजकीय मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा। 2009-2010 में, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक और केंद्र शुरू किया गया। सिद्धांत कक्षाएं आईश, मैसूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाती हैं और देश भर में छात्रों को एक ही समय में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वास्तविक ऑडियो-वीडियो बातचीत का प्रावधान प्राप्त होगा। नैदानिक ​​प्रशिक्षण योग्य पेशेवरों की देखरेख में दिन-प्रतिदिन संबंधित अध्ययन केंद्रों में पारंपरिक तरीके से किया जाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य गांव, ब्लॉक / तालुकऔर शहर के स्तरों पर विभिन्न वाक्, भाषा और श्रवण विकारों के लिए मूल्यांकन और चिकित्सीय प्रबंधन के नियमित नैदानिक कार्य करने के लिए वाक् और श्रवण तकनीशियनों / सहायकों को उत्पन्न करना है। यह चरणबद्ध तरीके से डीएचएलएस प्रोग्राम को बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच-लैंग्वेज पैथोलॉजी डिग्री प्रोग्राम में उन्नयन करने की योजना है। 2014-15 में इसे तीन केंद्रों में अद्दयतन किया गया - नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर; रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, साइंसेज (रिम्स), इंफाल और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जिपमर), पुदुचेरी।

भारतीय पुनर्वास परिषद ने 2016-17 से डीएचएलएस कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित किया। तदनुसार, निम्नलिखित विषयों पर स्वयं शिक्षण सामग्री प्रत्येक के खिलाफ सूचीबद्ध और प्रकाशित संकाय द्वारा तैयार की गई।समग्र संकलनऔर सभी चार खंडों कासंपादन डॉ. वाई. वी. गीता, प्रो. वाक् विज्ञान, आईश, मैसूर के द्वारा किया गया।

पाठ्यक्रम I श्रवणविज्ञान का परिचय पाठ्यक्रम II वाक् का परिचय - भाषा रोग दोष विज्ञान पाठ्यक्रमIII संचार विकारों का प्रबंधन - Iपाठ्यक्रम IV संचार विकारों का प्रबंधन –II

**सूचना अधिकार अधिनियम**

**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**कौन आवेदन कर सकता है?**

सभी भारतीय नागरिक, जो इस अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू नहीं होता है।

**सूचना क्या है?**

कोई भी दस्तावेज, ज्ञापन, नमूना, आदि

सूचना का अधिकार क्या है?

चार प्रकार की जानकारी इस प्रकार है:

(अ) दस्तावेजों का निरीक्षण (आ)टिप्पण और सूचना की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना(इ) नमूने प्राप्त करना(ई) इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारासूचनाप्राप्त करना।

**आवेदन कैसे करें?**

जानकारी प्रकाशनों और या आवेदन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। वे आवेदन पत्र पर लिखित रूप में अनुरोध करेंगे जो कैश काउंटर,आईश पर उपलब्ध है।

**आवेदन शुल्क**

रुपये का शुल्क नकद के रूप में 10 / -, डीडी या बैंकर्स चेकनिदेशक, आईश, मैसूरके पक्ष में तैयार किए गए प्रत्येक आवेदन के लिए भुगतान करना होगा।

**आवेदन किसे भेजें?**

आवेदन भरकर श्री फ्रेडी एंटनी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में लेक्चरर, आईश, मानसागंगोत्री, मैसूर - 6 को भेजा / दिया जाना चाहिए।

**सूचना शुल्क क्या हैं?**

प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 / -रुपये (ए 4 या ए 3 आकार)। बड़े आकार के कागज के मामले में, वास्तविक शुल्क लिया जाएगा।

डिस्केट या फ़्लॉपी में जानकारी के लिए (यदि जानकारी इस रूप में उपलब्ध है) 50 / - रुपये की राशिप्रति डिस्केट या फ्लॉपी का शुल्क लिया जाएगा।

**अभिलेखों का निरीक्षण**

पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। प्रत्येक 15 मिनट के लिए 5 / -रु की राशिशुल्क लिया जाएगा।

**समय सीमा क्या है?**

सूचना की आपूर्ति के लिए समय सीमा सीपीआईओ द्वारा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन है। अंतरंग के प्रेषण और शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को इससे बाहर रखा जाएगा।

यह 48 घंटे है यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता की चिंता करती है।

यदि निर्धारित समय के भीतर कोई जवाब या सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

**कैसे करें अपील?**

कोई भी व्यक्ति, जो निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है, या सीपीआईओके एक निर्णय से परेशान है, ऐसी अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से उच्च प्राधिकारी को प्रकट हो सकता है। पहली अपील में डॉ. पी. मंजुला, श्रवणविज्ञान, आईश, मैसूर के प्रोफेसर होंगे।

निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर उस तारीख से की जा सकती है, जिस दिन केंद्रीय सूचना आयोग, ब्लॉक नंबर 4 (5 वीं मंजिल), ओल्ड जेएनयू कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110 067में प्रथम अपीलार्थी प्राधिकरण द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए था।

**न्यायालयों का क्षेत्राधिकार**

भारतीय संविधान की धारा 225 और 32 के अनुसार, केवल उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर अधिकार है।

**संपर्क करें**

प्रो.एम. पुष्पावती निदेशकअखिल भारतीय वाक् श्रवण संस्थान मानसागंगोत्री मैसूर 570 006

कार्यालय: 2502102निवास: 2515583फैक्स नंबर: 2510515ई-मेल: director@aiishmysore.in

शैक्षणिकडॉ. अनिमेश बर्मन प्रोफेसर श्रवणविज्ञानपीएचऑफ: 2502181ई-मेल: animeshbarman@aiishmysore.in

सतर्कता अधिकारीसतर्कता अधिकारी पीएच ऑफ: 2502142ई-मेल: psyconindia@aiishmysore.in

सीपीआईओ(सूचना का अधिकार अधिनियम) डॉ. पी. गोपी किशोरवाक् विज्ञान में रीडर पीएचडी: 2502520ई-मेल: gopikishore@aiishmysore.in

एंटी-रैगिंग नीति और समिति डॉ. अनिमेश बर्मन अध्यक्षशैक्षणिक समन्वयक फोन (ऑफ): 2502181

तकनीकी मामलोंडॉ. अजीश के. अब्राहम प्रोफेसर - इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन (O): - 2502200ई-मेल: ajish68@aiishmysore.in

पारदर्शिता अधिकारी डॉ. सी. शिजित कुमारपुस्तकालय और सूचना अधिकारी पुस्तकालय और सूचना केंद्र फोन (ओ): 91-0821-2502150ई-मेल: lio@aiishmysore.in

कर्मचारी शिकायत अधिकारी डॉ.एस. पी. गोस्वामीप्रोफेसर- वाक् रोग दोष विज्ञान फोन : 2502500ई-मेल: goswami16@aiishmysore.in

एससी / एसटी / ओबीसीसेल डॉ.आर. राजसुधाकरवाक् विज्ञान में रीडर और संपर्क अधिकारीफोन: 2502724ई-मेल: rajasudhakar@aiishmysore.in

यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिएशिकायत सेल / समिति डॉ. एम. एस. वसंतलक्ष्मी रीडर – जैव सांख्यिकी वाक् भाषा रोग निदानफ़ोन (O): 91-0821-2502265ई-मेल: msvlakshmi@yahoo.co.in

लोक शिकायत अधिकारी डॉ.एच. सुंदर राजू प्रोफेसर, ई.एन.टी. विभाग फोन: 91-0821-2502242फैक्स: 91-0821-2510515

साहित्यिक चोरी विरोधी संहिता /सेल डॉ. सी. शिजित कुमारपुस्तकालय और सूचना अधिकारी पुस्तकालय और सूचना केंद्र फोन (ओ): 91-0821-2502150फैक्स: 91-0821-2510515

आचार समिति अध्यक्षप्रो. मेवा सिंह मनोविज्ञान प्रोफ़ेसर मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर

सामान्य सूचना श्री. ए.आर. कीर्तिलोक सूचना अधिकारीआईश, मैसूर 570 006फोन (O): 2502120मोबाइल: 9844181080

प्रशासनिक मुद्दे श्री. रामकुमार एस. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी फ़ोन (O): 2502120

**संस्थान फोन नंबर्स**91-0821 250200091-0821 2502100

**संस्थान फैक्स नम्बर**: 91- 0821 – 2510515ई-मेल: director@aiishmysore.in

कार्यसमय

सोमवार से शुक्रवार - सुबह 9.00 बजे 5.30 तकशनिवार, रविवार और सभी केंद्रीय सरकारी छुट्टियोंपर बंद।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*